कर्नल संतोष कुमार
सचिव, परिषद एवं निदेशक

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार
चतुर्थ तल, कौशल भवन, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110023

फा. सं. 22003/05/2023/एनसीवीईटी

दिनांक: 11.08.2023

विषय: <u>व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशानिर्देश।</u>

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा सं. एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू दिनांक 05 दिसंबर, 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय के रूप में एनसीवीईटी व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल ईकोसिस्टम में मानक निर्धारित करने, व्यापक विनियमन तैयार करने और सुधार करने के लिए उत्तरदायी है। किसी व्यक्ति की सक्षमता, कौशल, व्यावसायिक स्तर, मूलभूत साक्षरता और शिक्षा जिसे प्राथमिक रूप से अनौपचारिक, गैर-औपचारिक या पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से प्राप्त किया गया हो, को मान्यता देने के लिए एनसीवीईटी ने हितार्थियों के साथ व्यापक विचार-विमार्श करके "पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशानिर्देश" तैयार किये हैं।

2. आरपीएल के लिए दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रावधानों का समर्थन किया गया है जो सभी व्यक्तियों के लिए जीवन भर सीखने के अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देती है। एनईपी, 2020 के अनुसार प्रत्येक नागरिक के पास मौलिक साक्षरता हासिल करने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने और अपनी पसंद की आजीविका अपनाने का मूल अधिकार है। यह मानते हुए कि साक्षरता और मूल शिक्षा न केवल निजी और पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण निभाती हैं, बल्कि नागरिक नियोजन और आर्थिक सशक्तिकरण में भी उनकी अहम भूमिका है, यह नीति मुख्य रूप से बताती है कि ये अनिवार्य शिक्षा घटक व्यक्तियों के लिए जीवन भर सीखने की संभावनाओं के अनेक अवसर खोल देते हैं।

3. ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरएफ) से सुमेलित हैं और आरपीएल आकलनों, उपयुक्तता निर्माण, समानता और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने में संगतता के मानकों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से आरपीएल के निर्बाध कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, पारंपरिक और स्वदेशी कौशलों के महत्व को मान्यता देते हुए उद्योग की जरूरतों के अनुकूल आकलन करने के लिए औद्योगिक निकायों को सशक्त बनाते हैं। क्रेडिट के शैक्षणिक बैंक (एबीसी) को नवोन्मेषी रूप से जोड़ने से व्यक्तियों को अपने कौशल के लिए क्रेडिट एकत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे अवसरों का एक नया आयाम प्राप्त होता है, उनके कौशल विकास, उच्चतर शिक्षा को प्रेरणा मिलती है और लाभदायक रोजगार संभावनायें सृजित होती हैं।

4. इन दिशानिर्देशों को 20 मार्च, 2023 को एनसीवीईटी की 8वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और यहां अधिसूचित किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों को इनके कार्यान्वयन के दौरान फीडबैक और जरूरतों के आधार पर एनसीवीईटी के अनुमोदन के साथ समय-समय पर आगे और संशोधित/अद्यतन किया जा सकता है।

ह०-
कर्नल संतोष कुमार
सदस्य सचिव, एनसीवीईटी

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए दिशानिर्देश (आरपीएल)

11 अगस्त, 2023
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

अतुल कुमार तिवारी, भा.प्र.से.
सचिव

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रस्तावना

पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) की संकल्पना की उत्पत्ति प्राचीनतम सहकारी समितियों में देखी जा सकती है जब प्रमुख शिल्पकार अपने प्रशिक्षुओं के कार्य को उस काल के विभिन्न पेशों के लिए मांगे जाने वाले उच्च मानकों के तहत उनकी सक्षमता निर्धारित करने के लिए उनके कार्य का निरीक्षण करता था।

आरपीएल को पहली बार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजन (पीएमकेवीवाई) के अतंगर्त कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के गठन के बाद सरकार की कौशल रणनीति में अपना गया था। संकल्पना के रूप में यह अनौपचारिक या गैर-औपचारिक व्यवस्था में होने वाले शिक्षण को मान्यता देने की एक प्रक्रिया है और इस विश्वास को चुनौती देती है कि महत्वपूर्ण शिक्षण केवल एक औपचारिक व्यवस्था में ही हो सकता है।

आरपीएल में समावेशन और समानता की मजबूत सुदृढ़ता है क्योंकि इसमें औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं पाने वाले लोगों को औपचारिक योग्यता की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में इसका हमारे देश के लिए काफी अधिक महत्व है जहां जन शक्ति के एक बड़े तबके ने आजीविका अर्जित करने या आज की तारीख में ट्रेड-आधारित व्यवसाय करने के लिए *गुरू-शिष्य* परंपरा का पालन किया है। इसके अलावा, यद्यपि औपचारिक प्रशिक्षण तेजी से बढ़ रहा है। तथापि, गैर-आपैचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण वीईटी और कौशल उन्नयन के जरिये कार्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अब भी बना हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 आरपीएल को एक व्यावसायिक शिक्षा को एक शक्तिशाली साधन के रूप में मान्यता देती है और "एक ऐसे तंत्र के रूप में जिसमें औपचारिक प्रणाली से बीच में निकल गये लोगों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) के संगत उत्तर के साथ उनके व्यवहारिक अनुभवों को मिलाकर पुन: समेकित किया जाएगा", के रूप में मान्यता देती है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अब तक आरपीएल आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रमाणित लाभार्थियों को आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करने में उपयोगी रहा है। आगे बढ़ने के लिए हमें आरपीएल को संपूर्ण शिक्षा, कौशल ईकोसिस्टम की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयोजित कौशल कार्यक्रमों से आगे ले जाना होगा। इसका अर्थ आकलन और प्रमाणन की अधिक व्यवस्थित नीति, कौशल प्रदान करने के उच्चतर स्तर के लिए आरपीएल के मार्ग खोलना (एनएसक्यूएफ स्तर 4 से ऊपर) और विश्वकर्मा और पारंपरिक शिल्पकारों जैसे तबकों के लिए एक विशिष्ट नीति का निर्माण है। इन नवाचारों से आरपीएल के प्रति हमारी नीति वर्तमान जरूरतों के साथ उसे सुमेलित करते समय और अधिक विस्तृत हो जाएगी। राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा भी हमें विभिन्न स्तरों पर और अनौपचारिक/गैर-औपचारिक प्रणाली से औपचारिक प्रणाली में शिक्षा प्रणाली के लिए कौशल प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं की आरपीएल (आकलन) - आधारित प्रवेश को संभव बनाने के लिए एक आदर्श साधन भी प्रस्तुत करता है।

सरकारी ईकोसिस्टम में एमएसडीई ने उम्मीदवार की पूर्व जांच के लिए संपर्क बिंदुओं सहित आरपीएल के लिए एक अधिक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है जिसके बाद कौशल उन्नयन के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम होंगे और प्रक्रिया की शैक्षिक कठोरता को बढ़ाने ओर पीएमकेवीवाई के अद्यतन संस्करण में उसकी बाजार संगतता के लिए आकलन होगा। एमएसडीई और एनसीवीईटी विशेष रूप से से एनएसक्यूएफ स्तर 4 और उससे अधिक के लिए आरपीएल के बेहतर कार्यान्वयन हेतु आवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) की क्षमताओं के निर्माण के बारे में अन्य हितार्थियों के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन दिशानिर्देशों से आकलन प्रक्रिया के और अधिक मानकीकरण के अलावा प्रभावी विनियमन के जरिये समग्र गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

मैं आवश्वस्त हूं कि संपूर्ण कौशल ईकोसिस्टम में सहयोग और नवाचार की भावना के साथ हम आरपीएल को अनौपचारिक शिक्षण को मान्यता देने की एक भलि-भांति स्वीकृत मुख्य धारा पद्धति के रूप में स्थापित कर सकते हैं ताकि एक सक्रिय और संवेदनशील कौशल ईकोसिस्टम बनाने में इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।

ह०-
अतुल कुमार तिवारी

कमरा नंबर 524, पांचवा तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
टेली: 011-23465833, 23465834, फैक्स: 011-23465837, ई-मेल: secy-msde@nic.in
वेबसाइट: www.skillindia.gov.in

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के मौलिक स्तंभों पर निर्मित है जो सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 की कार्यसूची से सुमेलित है और जिसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान और कौशल का शक्ति केंद्र बनाना है। एनईपी का लक्ष्य एक ऐसी समग्र और लोचशील शिक्षा प्रणाली सृजित करना है जो औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षण सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा अर्जित विविध ज्ञान और कौशल को मान्यता देती हो। ये आरपीएल दिशानिर्देश व्यक्तियों के पूर्व शिक्षण के आकलन और प्रत्यायन के लिए एक कार्यढांचा प्रदान करते हैं जो उन्हें उनके मौजूदा ज्ञान कौशल और अनुभव के लिए मान्यता और क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देता है।

व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल के लिए विनियामक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) पूर्ण बदलाव की पहलों का नेतृत्व करने की अपनी वचनबद्धता में कृत संकल्प है। एनसीवीईटी के प्रयास कौशल ईको प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश हैं और इसी के साथ ऐसी पद्धतियां बनाने का प्रयास हैं जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल के बीच के अंतर को पाट सकें। दिशानिर्देश दस्तावेज में पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) और सतत शिक्षण की मान्यता (आरसीएल) के रूप में 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास शामिल हैं, इन दोनों का लक्ष्य शिक्षण परिणामों को गहनता से परिभाषित और विश्वसनीय आकलन संचालित करने के जरिये गैर-औपचारिक, अनौपचारिक और उत्तरोत्तर सीखने को मान्यता देना और वैधता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरफ) के प्रावधानों को शामिल करने के साथ ये दिशानिर्देश पूर्ववर्ती कौशलों को मान्यता देने की पारंपरिक रूपरेखाओं से आगे जाते हैं। एनसीआरएफ यह सुनिश्चित करते हुए आरपीएल आकलनों की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा देता हैं कि ये व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के उद्देश्यों और अपेक्षाओं के अनुरूप हों। ये दिशानिर्देश औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण के जरिये अर्जित व्यक्ति के कौशल और ज्ञान को मान्यता देने में वस्तुनिष्ठता, खुलेपन, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानता और संगतता को बढ़ावा देते हैं।

ये दिशानिर्देश आवार्डिंग निकायों (एबी) और आकलन एजेंसियों (एए) के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रगति को प्रेरित करके और प्रगतिशील आकलन तकनीकों जैसे व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में सीखने के मिश्रित मॉडलों को समेकित करके आरपीएल के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा को निर्धारित करते हैं।

इसके अलावा, ये दिशानिर्देश औद्योगिक निकायों को उनके कर्मचारियों के लिए आरपीएल और आरसीएल आकलन करने के लिए सशक्त बनाने के उल्लेखनीय पहलू पर जोर देते हैं। यह आकलन प्रक्रिया को इस प्रकार से समेलित करता है कि वह उद्योग की जरूरतों को पूरा करे। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) के विविध क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों पर आरपीएल और आरसीएल मॉडलों के लिए विस्तृत कार्यढांचा प्रदान करके पारंपरिक और स्वदेशी कौशल के महत्व को विधिवत रूप से मान्यता देते हैं।

ये दिशानिर्देश आरपीएल और आरसीएल में व्यक्तियों की भागीदारी के जरिये क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अग्रणी प्रावधान की शुरूआत करते हैं जिससे एनसीआरएफ के अंतर्गत यथा परिकल्पित क्रेडिट के शैक्षिक बैंक (एबीसी) में इन क्रेडिटों के संग्रह में सुविधा होती है। ये तंत्र व्यक्तियों को उनकी दक्षताओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से दर्शाने में सक्षम बनाते हैं जिससे कौशल विकास के आगामी अवसर मिलते हैं तथा उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों और लाभदायी रोजगार में उनके समेकन की संभावना बढ़ जाती है।

मैं उन सभी हितार्थियों का हार्दिक रूप से आभारी हूं जिन्होंने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इस व्यापक नीतिगत दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगादान दिया है। अपनी अथक प्रतिबद्धता के साथ मैं मानता हूं कि ''पूर्व शिक्षण की मान्यता संबंधी दिशानिर्देश'' कौशल ईकोसिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाले होंगे, जो समावेशन, जीवन भर सीखने को बढ़ावा देंगे और औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के बीच के अंतर को समाप्त करेंगे। मैं सभी हितार्थियों से पूरे दिल से इन दिशानिर्देशों को अपनाने और गंभीरता से इनका कार्यान्वयन करने की विनम्र प्रार्थना करता हूं जिससे गैर-औपचारिक, अनौपचारिक साधनों और पारिवारिक विरासत के जरिये परिचित पूर्व शिक्षण और कौशल के विशाल भंडार को अत्यंत जरूरी मान्यता मिलना सुनिश्चित होगा।

डॉ. निर्मलजीत सिंह कल्सी, आई.ए.एस, सेवानिवृत्ति
अध्यक्ष, एनसीवीईटी

आभार

"पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशानिर्देश" संबंधी यह प्रकाशन अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों के समग्र प्रयासों और समर्पण का प्रमाण है।

सबसे पहले हम डॉ. निर्मलजीत सिंह कल्सी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहेंगे जिनका असाधारण मार्गदर्शन और निर्देश इन विस्तृत दिशानिर्देशों के सफल निर्माण का आधार स्तंभ रहा।

हम डॉ. नीना पहुजा, कार्यकारी सदस्य और डॉ. विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य एवं कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी का भी दिल से आभार प्रकट करते हैं। जिनके गहन ज्ञान और कड़ी मेहनत से इन दिशानिर्देशों के निर्माण में पर्याप्त योगदान मिला।

इसके अलावा, हम एनसीवीईटी के परामर्शदाताओं श्री अभिनव मिश्रा, श्री अमरेश कुमार, श्री अमित शर्मा के परामर्शों की भी हृदय से सराहना करते हैं जिनकी रचनात्मक जानकारियों से इस कार्य के संदर्भ और विषयवस्तु को बनाने में अत्यधिक सहयोग मिला जिससे यह जानकारी और परिप्रेक्ष्य में समृद्ध बन सका।

हम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को उनके इस परियोजना की पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके मजबूत सहयोग ओर प्रोत्साहन के लिए अपना अत्यधिक आभार प्रकट करते हैं। हम उन विभिन्न आवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के भी ऋणी हैं जिनकी समग्र विवेकशीलता आरपीएल नीति की गूढ़ बारीकियों की हमारी समझने बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रही है।

अंतत: हम अनेक उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त व्यवहारिक अनुभव के लिए आभार प्रकट करते हैं। वास्तविक दुनिया के उनके अनुभव से ये दिशानिर्देश व्यावहारिकता से समृद्ध हुये हैं जिससे ये आरपीएल आकलनों और प्रक्रियाओं के कायान्वयन का प्रभावी साधन बन गये हैं। हम सभी लोगों का उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिसके बिना प्रकाशन संभव नहीं होता।

एनसीवीईटी

शब्द संक्षेप

आरपीएल	-	पूर्व शिक्षण की मान्यता
एनवीईक्यूएफ	-	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और योग्यता कार्यढांचा
पीएमकेवीवाई	-	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
एनईपी	-	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएसक्यूएफ	-	राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचा
एनसीआरएफ	-	राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा
एनओएस	-	राष्ट्रीय व्यवसाय मानक
एबी	-	आवार्डिंग निकाय
एए	-	आकलन एजेंसी
एबीसी	-	क्रेडिट का शैक्षणिक बैंक
आरओआई	-	निवेश पर आय
सीएसआर	-	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
एनजीओ	-	गैर-सरकारी संगठन
एनसीवीईटी	-	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एमएसडीई	-	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
टीओए	-	आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण
टीओएमए	-	मास्टर आकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण
यूजी	-	स्नातक अधीन
पीजी	-	स्नातकोत्तर
पीएचडी	-	डॉक्टरेट पश्चात
पीसी	-	निष्पादन मानदंड
एसओपी	-	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एचईआई	-	उच्चतर शिक्षा संस्थाएं
सीओई	-	उत्कृष्टता केंद्र
पीडब्ल्यूडी	-	दिव्यांग व्यक्ति
एलओ	-	शिक्षण परिणाम
आरसीएल	-	सतत शिक्षण मान्यता

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 प्रत्येक नागरिक के लिए एक मूल अधिकार के रूप में जीवन भर सीखने पर जोर देती है। आरपीएल के कार्यान्वयन में वर्तमान चुनौतियों में संकल्पनात्मक संदेह, नियोजक मान्यता का अभाव, भाषा संबंधी बाधाएं और अपर्याप्त अवसंरचना और योग्य कर्मचारियों की कमी शामिल है। आरपीएल नीति को गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण को मान्यता देने, रोजगार योग्यता बढ़ाने और उच्चतर शिक्षा के वैकल्पिक तरीके प्रदान करने के लिए युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है।

आरपीएल एक ऐसी आकलन प्रक्रिया है जो पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता देती है और दक्षताओं को सुमेलित करने, रोजगार योग्यता बढ़ाने और जीवन भर सीखने के अवसर देने का लक्ष्य रखती है। आरपीएल दिशानिर्देशों का लक्ष्य आकलन के न्यनतम मानक और प्रक्रियायें निर्धारित करना। औपचारिक शिक्षण प्रणाली में समेकन को सुगम बनाना और कौशल मान्यता प्रणाली को मजबूत बनाना है। इसके उद्देश्यों में एनएसक्यूएफ के साथ दक्षताओं का सुमेलन, प्रशिक्षण को औपचारिक बनाना, रोजगार योग्यता बढ़ाना, असमानताएं कम करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक कौशल को महत्व देना शामिल है। अंतत: आरपीएल दिशानिर्देशों का लक्ष्य रोजगार योग्यता, परिवर्तनीयता, जीवन भर सीखने, सामाजिक समावेशन और आत्मसम्मान में सुधार करना है।

आरपीएल की विभिन्न लक्षित समूहों में जरूरत है जिनमें शिल्पकार, अनौपचारिक आर्थिक कामगार, बेरोजगार, केयरटेकर और खिलाड़ी शामिल हैं। आरपीएल प्रक्रियाओं में विभिन्न आकलन पद्धतियां और परिणाम शामिल हैं जैसे पूर्ण या आंशिक योग्यता और क्रेडिट को मान्यता देना। औपचारिक शिक्षण शैक्षिक संस्थानों में होता है जबकि गैर औपचारिक शिक्षण में कतिपय औपचारिक विशेषताएं नहीं होती हैं और अनौपचारिक शिक्षण स्वनिर्देशित और अनियोजित होता है।

ये दिशानिर्देश कौशल ईकोसिस्टम में आरपीएल (पूर्व शिक्षण को मान्यता) आकलनों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने पर केंद्रित हैं। इन दिशानिर्देशों को विभिन्न हितार्थियों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया में तैयार किया गया है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन और मिशन के अनुसार भी तैयार किया गया है। इससे समस्त गैर-औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षणों को आरपीएल आकलनों के जरिये मान्यता देने में मदद मिलेगी। अंतत: यह जीवन भर सीखने को आगे बढ़ाने के एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

आरपीएल तंत्र को एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ कार्यढांचे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इस प्रक्रिया में ऐसे विभिन्न एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर और नीतियां शामिल हैं जिन्हें

विभिन्न कंपनियों द्वारा अपनाया जाएगा। चूंकि हम समझते हैं कि एनएसक्यूएफ नीति को युक्तिसंगत बनाया गया है और अब 1-8 तक स्तर हैं, तदनुसार, आरपीएल प्रक्रिया को 4 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

श्रेणी 1: एनएसक्यूएफ स्तर 1-3.5
श्रेणी 2: एनएसक्यूएफ स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा)
श्रेणी 3: एनएसक्यूएफ स्तर 4-6 (गैर-औपचारिक शिक्षा)
श्रेणी 4: एनएसक्यूएफ स्तर 6.5-8

आरपीएल प्रक्रिया से **विद्यार्थियों को**, यदि वे किसी स्तर पर पिछड़ जाते या छूट जाते हैं तो शिक्षा प्रणाली में पुन: तालमेल बनाने और प्रवेश करने का अवसर सुलभ होता है। आरपीएल विद्यार्थियों के उनके मौजूदा कौशल और ज्ञान को मान्यता देने का **एक अवसर** प्रदान करता है जिससे वे आगामी शिक्षा ले सकते हैं, वे अपनी रोजगार योग्यता बढ़ा सकते हैं और कार्य शक्ति में सार्थक योगदान दे सकते हैं। इससे व्यक्तियों को उनके पृष्ठभूमि और आयु पर विचार किये बिना **जीवन भर सीखने में शामिल होने** और **उनकी अपनी सीखने की यात्रा का नेतृत्व करने** की शक्ति मिलती है।

आरपीएल दिशानिर्देश सभी स्तरों पर दक्षताओं, ज्ञान, कौशल और सीखने के सभी आयामों को मान्यता देते हैं। ये दिशानिर्देश निरंतर सीखने के भाग के रूप में और **आय अर्जन के प्रावधान और आरपीएल के जरिये क्रेडिट** के संग्रहण के जरिये **आरपीएल, मान्यता एजेंसियों** को उनकी जन शक्ति के लिए **आवधिक आरपीएल** संचालित करने के लिए **आकलन के लिए मिश्रित मॉडलों** सहित **नयी और नवाचारी पद्धितयों और मॉडलों को प्रदान करते हैं।** ये दिशानिर्देश इस बारे में भी बात करते हैं कि आरपीएल को कैसे वैविश्क कौशल मानकों को हासिल करते समय हमारे युवाओं को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक भी विस्तृत किया जा सकता है।

ये दिशानिर्देश आवार्डिंग निकायों के लिए आकलन जैसे आरपीएल आकलन के लिए योग्यता के संगत प्रशिक्षण परिणामों की पहचान करना और सूचीबद्ध करना, के बारे में महत्वपूर्ण कार्यों का भी प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देश प्रत्यायित आरपीएल सलाहकार/परामर्शदाता की भूमिकाओं, राज्य/भारत सरकार/उद्योग से मान्यता प्राप्त/सम्मानित मास्टर सेल्फकार/ग्रेड के मास्टर/विरासत/परंपरा, कौशल गुरू, विशिष्ट कौशल के लिए उस्ताद, आरपीएल के विभिन्न डिलीवर चैनल की पहचान करने और उनकी विश्वसनीयता स्थापित करने, विषयवस्तु के विशेषज्ञों (एसएमई), उद्योग विशेषज्ञों, ट्रेड मास्टरों और मास्टर आकलनकर्ताओं को पैनलबद्ध करना

परिभाषित करते हैं जिन्हें आरपीएल योग्यता/पाठ्यक्रम वैधता और आकलन प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा।

कोई आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार आकलनकर्ताओं को मान्यता देने के लिए दिशानिर्देशों में प्रावधान है। किसी उद्योग विशेष के भीतर उद्योग विशेषज्ञ जो बहुमूल्य अनुभव, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और मूल्यवान जानकारी रखता हो। उन्हें आरपीएल बैचों के आकलन के लिए सीधे पैनलबद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार आकलनकर्ता भी दोहरी भूमिका निभा सकता है। पहले आकलनकर्ता के रूप में प्रशिक्षक के मामले में व्यक्ति प्रशिक्षण और आकलन दोनों निष्पादित कर सकता है। दूसरे प्रशिक्षक के रूप में किसी आकलनकर्ता के मामले में आकलनकर्ता पूर्ण योग्यता संबंधी प्रशिक्षण नही दे सकता है, परंतु वे उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के लिए और कुछ एनओएस/सूक्ष्म प्रमाणन आधारित प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण दे सकता है।

विद्यार्थियों के पास भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर अर्जित प्रशिक्षण/विषय/कौशल के लिए स्वयं के आकलन के विकल्प होंगे। इससे वास्तविक अर्थों में बहुविषयक शिक्षण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल तथा इसी प्रकार इसके विपरीत के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। सामान्य आरपीएल के साथ-साथ मांग पर आकलन (मांग पर आरपीएल) की संकल्पना अनौपचारिक पद्धतियों के जरिये शिक्षण के प्रमाणन का मूल आधार बनेगी।

आरपीएल की संकल्पना को व्यक्तियों के लिए सक्षमता के स्तरों तथा संबंधित विनियामक अनुपालनों को पूरा करने और अपेक्षित आकलन में उत्तीर्ण होने के अधीन समान या उच्चतर स्तर पर किसी विषय या योग्यता हेतु आकलन किये जाने के विकल्पों के सृजन के लिए सामान्य शिक्षा तक भी विस्तृत किया गया है। इससे प्रशिक्षार्थी को मांग पर परीक्षा/ आकलन का विकल्प प्रभावी ढंग से मिल जाएगा। एनआईओएस एक उदाहरण है जो एसे प्रशिक्षार्थियों को ''मांग पर परीक्षा'' का विकल्प देता है जिन्होंने स्वाध्याय/शिक्षण के वर्षों की अपेक्षित संख्या को किसी विशेष शिक्षा ग्रेड के लिए आकलन हेतु पूरा कर लिया है। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा में भी आरपीएल का विकल्प देने के लिए अन्य राज्य स्कूल बोर्डों और सीबीएसई आदि द्वारा इसी प्रकार के मॉडलों को विकसित और अपनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरएफ) के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण को उसके सफल आकलन के अधीन प्रमाणित किया जा सकता है। राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरएफ) अनुभव जन्य शिक्षण जो संगत अनुभव के लिए महत्व तथा प्राप्त निपुणता के स्तर पर आधारित हो, के सफल आकलन के अधीन प्रमाणीकरण को संभव बनाता है।

एनसीआरएफ का प्रत्येक स्तर कतिपय क्रेडिट और क्रेडिट बिंदुओं से संगत है जिनका उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षार्थी की जरूरतों के अनुसार आगे उपयोग किया जा सकता है। ''एनसीआरएफ के प्रावधान'' के अंतर्गत क्रेडिट और क्रेडिट स्तरों को सौंपने का कार्य शिक्षण घंटों के बजाय शिक्षण के परिणामों के आधार पर किया जाता है। इसी सिद्धांत को आरपीएल के लिए भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का आलकन योग्यता के मानकों (एनओएस) के तहत अनुभवजन्य प्रशिक्षण परिणामों के लिए किया जाता है। अत: आरपीएल के अंतर्गत क्रेडिटों और क्रेडिट स्तर को सौंपना संबंधित योग्यता के लिए उन्हें सौंपने के समान है।

इन दिशानिर्देशों में आरसीएल की संकल्पना पर भी चर्चा की गई है जिसे प्रशिक्षार्थी की सक्षमता और उस समय उपलब्धियों के विस्तृत और समग्र आकलन के लिए आरपीएल के साथ समेकित किया जा सकता है। आरसीएल, आरपीएल का एक विस्तार है । यह शिक्षण के गतिशील और विकसित होती प्रवृत्ति तथा भावी कार्य पर फोकस करता है और न कि रुके हुये या स्थिर परिणामों के अनुसार। आरसीएल को एबीसी से भी जोड़ा जा सकता है ताकि प्रशिक्षार्थी अपने सतत शिक्षण के लिए क्रेडिट संग्रह कर सकें और आगे की शिक्षा या रोजगार अवसरों में उनका उपयोग कर सकें।

विषय सची

1. प्रस्तावना....13
1.1 ईको सिस्टम में पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) का विहंगालोकन, समझ और महत्व....13
1.2 वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ....14
1.3 आरपीएल नीति को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता....14
1.4 आरपीएल प्रथाओं का रूपरेख....15
1.5 परिभाषाएं....16
1.5.1 औपचारिक शिक्षण....16
1.5.2 गैर-औपचारिक शिक्षण....16
1.5.3 अनौपचारिक शिक्षण....16
1.5.4 पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)....16
2. दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य....17
2.1 कार्यक्षेत्र....17
2.1 उद्देश्य....17
3. पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के हितधारक....18
3.1 आवेदक/उम्मीदवार/कामगार/लाभार्थी/कर्मचारी....18
3.2 नियोक्ता, उद्योग, औद्योगिक निकाय और समुदाय....18
3.3 कार्यान्वयन निकाय (एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एबी और एए)....18
3.4 प्रायोजित करने वाले/वित्तपोषण निकाय....19
3.5 सरकार और नियामक निकाय (एनसीवीईटी)....19
4. प्रक्रिया और कार्यान्वयन तंत्र....20
5. आवार्डिंग निकाय (एबी) की भूमिका....31
5.1 आरपीएल आकलन के संबंध में महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य....31
6. आकलन एजेंसी (एए) की भूमिका....31
6.1 आरपीएल के लिए विभिन्न प्रकार के आकलनकर्ताओं की मान्यता.... 32
6.1.1 प्रमाणित मास्टर आकलनकर्ता और आकलन एजेंसियों के आकलनकर्ता....32
6.1.2 उद्योग द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त उद्योग विशेषज्ञों....32
6.1.3 दोहरी भूमिका में आकलनकर्ता (आकलनकर्ता के रूप में प्रशिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आकलनकर्ता)....32
6.2 विभिन्न प्रकार के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) आकलनकर्ताओं की भूमिका....32
7. ज्ञान, कौशल और दक्षता के आकलन के प्रकार....33
8. डिलीवरी चैनल और आरपीएल आकलन के लिए अनुशंसित केंद्र/स्थान....35
8.1 आवार्डिंग निकाय (एबी)/एबी के संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता/केंद्र....35
8.2 कार्यस्थल या कार्यशाला (पारंपरिक/स्वदेशी कौशल के लिए)....35
8.3 व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधाओं वाले कॉलेजों/ एचईआई/विश्वविद्यालयों में आरपीएल....35
8.4 औद्योगिक समूह जहां परीक्षा संचालित किए जा सकते हों....35

8.5 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में आरपीएल.....36

8.6 रोजगार/कार्यस्थल का स्थान.....36
8.7 एग्रीगेटर्स के जरिये मांग पर आकलन (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन).....36
8.8व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रयोगशालाओं वाले स्कूलों/कौशल केंद्रों में आरपीएल (स्थानीय कार्यबल के लिए).....36
9. नि:सक्त (पीडब्ल्यूडी)/दिव्यांगजनों के लिए आरपीएल का प्रावधान.....36
10. एनसीआरएफ के साथ आरपीएल का समेकन.....36
10.1 उन शिक्षण परिणामों (एलओ) जिनके लिए आकलन हुआ है, के आधार पर राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) स्तरों के अनुसार क्रेडिट सौंपना.....37
10.2 प्रत्यायित क्रेडिट बैंक (एबीसी) में क्रेडिट संग्रह.....37
10.3 क्रेडिट का मोचन/हस्तांतरण.....37
11. आरपीएल-आरसीएल से परिवर्तन.....38
12. गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी).....39
12.1 गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए कदम.....39
13. निगरानी एवं मूल्यांकन (ऑनलाइन/पोर्टल के माध्यम से).....40
13.1 निगरानी की प्रक्रिया.....40
13.2 रिपोर्टिंग तंत्र.....40
14. यथा समय सहायता के लिए एक समर्पित आरपीएल डिजिटल पोर्टल सृजन करना.....40
15. समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन/अद्यतन बनाने की प्रक्रिया.....41
अनुबंध - 1: आरपीएल प्रक्रिया फ़्लोचार्ट.....42
अनुबंध - 2: आकलनकर्ता की दोहरी भूमिका संबंधी विभिन्न उपयोग-मामले.....46
अनुबंध - 3: हैकथॉन आधारित आकलन..... 47
अनुबंध - 4: पारंपरिक (स्वदेशी) कौशल/व्यवसाय और इसकी आकलन प्रक्रिया..... 48

फा. सं. 22003/05/2023/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए दिशानिर्देश (आरपीएल)

1. प्रस्तावना

1.1 ईकोसिस्टम में पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) का विहंगालोकन समझ और महत्व

पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) को 1972 में 'पिछड़ों के लिए शिक्षण अवसर' (यूनेस्को,1972, पृष्ठ 41) सृजित करने के लिए एक सामाजिक नीतिगत साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया था। 1995 में यूरोपीय आयोग (ईसी) ने आरपीएल को सभी के लिए रोजगार योग्यता के संवर्धन के लिए एक आर्थिक नीति के रूप में चित्रित किया था (ईसी 1995) । अनेक देशों ने आरपीएल को अपनाया है, क्योंकि इसे सभी हितधारकों: वयस्क आरपीएल की मांग करते हैं, प्रदाता आरपीएल की पेशकश करते हैं, नियोजकों को प्रमाणित मानव संसाधन की जरूरत है, युनियनें इनमें से किसी हितधारक के हितों से सुमेलित हैं और राज्य जो नागरिकों के कल्याण तथा अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, के लिए जीत-जीत नीति माना जाता है।

सितंबर, 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और योग्यता कार्यढांचा ((एनवीईक्यूएफ) के भाग के रूप में आरपीएल संबंधी एक प्रयोगिक परियोजना शुरू की थी। इसके बाद प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2016-2020) की अग्रणी स्कीम के अंतर्गत आरपीएल को भारत सरकार द्वारा मौजूदा कुशल जन शक्ति की सक्षमताओं के आकलन और उनके प्रमाणन के लिए एक अनुकूल निर्मित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया।

वर्तमान में भारत में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल निर्माण ईकोसिस्टम में पूर्व शिक्षण संबंधी मान्यता की मानकीकृत नीति का अभाव है जिससे आकलन मानकों, प्रमाणन प्राधिकरण

और विश्वसनीयता में अंतर हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों का सीमित आवागमन और आवार्डिंग निकायों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की तुलना के समय उद्योग में अस्पष्टता होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन भर सीखना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। ''मूल साक्षरता प्राप्त करने का अवसर, शिक्षा प्राप्त करना और आजीविका कमाने के अवसर को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार माना जाना चाहिए''।

1.2 वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

पूर्व शिक्षण की मान्यता, पूर्व शिक्षण का आकलन करने, किसी विद्यार्थी/प्रशिक्षार्थी द्वारा शिक्षण की औपचारिक, गैर-औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से अर्जित पूर्ववर्ती शिक्षण, कार्यात्मक दक्षता/ कौशल के आकलन की एक पद्धति है और इसे एनएसक्यूएफ के सुमेलित और अनुमोदित योग्यता के शिक्षण परिणामों और आकलन मापदंडों के तहत व्यवस्थित रूप से मूल्यांकित किया जाता है (जिसे क्रेडिट प्रदान किया जाता है)।

अत: आरपीएल यह आकलित करने की भी पद्धति है की क्या प्रशिक्षार्थी ऐसे ज्ञान, समझ और कौशल के जरिये किसी कार्य भूमिका/योग्यता संबंधी आकलन की अपेक्षाओं को पूरा करना दर्शा सकते हैं जो उनके पास पहले से है और उन्हें शिक्षण के निर्धारित पाठ्यक्रम में जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं हो सकती है।

इससे उचित आकलन पद्धति के प्रयोग से अनेक कार्यकलापों से उपलब्धि को मान्यता संभव बनती है। विचाराधीन ज्ञान, समझ और/ या कौशल जीवन के किसी क्षेत्र में प्राप्त किया गया हो सकता है उदाहरण के लिए घरेलू/पारिवारिक जीवन, शिक्षा और प्रशिक्षण, कार्य संबंधित कार्यकलाप, समुदाय या स्वैच्छिक कार्यकलाप।

वर्तमान में भारत में आरपीएल मुख्यत: पीएमकेवीवाई के माध्यम से चालित है। इन स्कीमों को सार्वजनिक - निजी और सार्वजनिक - सार्वजनिक भागीदारियों के जरिये कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरपीएल को एनएसक्यूएफ के कमतर स्तर के कौशल के लिए सामान्यत: प्रयोग किया जा रहा है जो नौकरी या अन्यथा संबंधी प्राप्त उच्चतर स्तर के कौशल के लिए अवसर नहीं देने, को मान्यता प्रदान करते हैं। आरपीएल के प्रभावी कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

क. आरपीएल की परिभाषा, इसके द्वारा सिद्ध प्रयोजन के बारे में संकल्पनात्मक संदेह, और विभिन्न आरपीएल मॉडलों के बारे में स्पष्टता का अभाव तथा उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए यह स्पष्ट नहीं होना।

ख. सभी नियोजक आरपीएल के बारे में जागरुक नहीं हो सकते हैं या आरपीएल के जरिये प्राप्त योग्यताओं / प्रमाण पत्रों का मान्यता नहीं दे सकते हैं।

ग. भाषा संबंधी बाधायें (बहुभाषी सहायता)।

घ. आरपीएल के प्रभावी आकलन के लिए अपर्याप्त अवसरंचना और साधन।

ड. आरपीएल संचालित करने के लिए योग्य परामर्शदाताओं, आकलनकर्ताओं और सक्षम कर्मचारियों का अभाव ।

च. स्वदेशी/धरोहर/पारंपरिक कौशल के लिए आरपीएल आकलन में चुनौतियां

1.3 आरपीएल नीति को तर्कसंगत बनाने की जरूरत

आरपीएल प्रक्रियाओं को पुन: परिभाषित करने के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र को नया बल मिलेगा। शिक्षण के सभी गैर-औपचारिक परिणामों को मान्यता देने से ऐसी समस्त रेंज की दक्षताएं सम्मानित और स्पष्ट होती हैं जिन्हें लोगों ने विविध क्षेत्रों में और विभिन्न साधनों के जरिये अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त किया है। आरपीएल जीवन भर सीखने को सम्मान देने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है।

निम्नलिखित लक्ष्य समूह आरपीएल से लाभ ले सकते हैं:

लक्ष्य समूह	आवश्यकताएं
कुशल कामगार (जैसे इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री, रसोइया, आदि)	• ये अपने कार्य के दौरान अनौपचारिक रूप से दक्षताएं प्राप्त करते हैं, परंतु इनके पास नियोजक को अपनी दक्षता में सिद्ध करने के लिए कोई योग्यता/प्रमाण पत्र नहीं होता है। अत: इन्हें कम अवसर और कम मजदूरी मिलती है। • कभी-कभी इनके पास अपने कौशल के वास्तविक स्तर से कम स्तर की औपचारिक योग्यता होती है। • उन्हें ऐसी कुछ अद्यतन तकनीकों की जानकारी नहीं होती है जिन्हें वे सीख सकते हैं।
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कोई कामगार	• औपचारिक अर्थव्यवस्था में जाने के लिए आरपीएल की जरूरत।
एक बेरोजगार कामगार	• आरपीएल औपचारिक प्रमाणन प्रदान करता है जिससे रोजगार में मदद मिल सकती है।

एक आर्थिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति	• आरपीएल प्रमाणन उस व्यक्ति की मदद कर सकता है जो प्रमाणन के बिना किसी व्यवसाय में कार्यरत था और जिसे श्रम बाजार छोड़ दिया और अब वापस जाना और औपचारिक रोजगार प्राप्त करना चाहता है।
कोई देखभालकर्ता या घर में किसी व्यवसाय में नियोजित व्यक्ति (अधिकांशत: महिलाओं द्वारा और प्राय: अल्प वेतन प्राप्त)	• आरपीएल व्यक्ति को उसकी दक्षताओं के लिए औपचारिक प्रमाणन प्रदान करके श्रमिक बाजार में नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है।
किसी कार्य में कोई बेरोजगारी व्यक्ति जहां योग्यता अपेक्षाओं में कुछ वर्षों में बदलाव हुआ है या जहां योग्यता अलग देशों में अलग-अलग है (जैसे बुजुर्गों की देखभाल, टेंडर गार्टन वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट आदि)	• आरपीएल ऐसे व्यक्ति की वैश्विक श्रिमक बाजार में प्रतिस्पर्धी रहने में मदद करता है।
कोइ विद्यार्थी, शोधकर्ता आदि	• इसे नौकरी, कार्यशाला, परियोजना आदि के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल के लिए मान्यता देने हेतु आरपीएल की जरूरत है। इससे शैक्षणिक प्रयोजन हेतु क्रेडिट अर्जित करने में भी मदद मिलती है।
कोई कामगार जो सेवानिवृत्ति के बाद कार्य करना जारी रखना चाहता है।	• इसे स्वनियोजित होने पर भी कार्य जारी रखने के लिए उसकी दक्षताओं की योग्यताओं के लिए मान्यता देने की जरूरत है।
एक प्रवासी कामगार या वापस जाने वाला प्रवासी कामगार	• इसे गंतव्य देश में अपने कौशल के लिए औपचारिक मान्यता लेने हेतु आरपीएल की जरूरत है।
कोई आद्योगिक कामगार जिसने कार्य संबंधी क्षेत्रों में सीखा है।	• प्रमाणन इसके लिए कैरियर के अधिकतम अवसर खोल सकता है।
कोई एथलीट/ खिलाड़ी	• इसे खेल/ स्पोर्ट्स खेलते समय प्राप्त अपनी दक्षताओं/ कौशल के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु आरपीएल की आवश्यकता है। • आरपीएल से एनसीआरएफ के विभिन्न स्तरों शैक्षिक समतुल्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

1.4 आरपीएल प्रथाओं की रूपरेखा

मानदंड	**प्रकार**
लक्ष्य	• रोज़गार योग्यता •सामाजिक समानता •सामाजिक परिवर्तन •आर्थिक विकास •कैरिअर की प्रगति • उद्यमिता/स्वरोजगार डेटाबेस

पद्धतियां	• लिखित परीक्षा •मौखिक परीक्षा •पोर्टफोलियो • साक्षात्कार • परियोजनाएं •मामला अध्ययन •प्रतियोगिताएं • मिश्रित आकलन
परिणाम	• मान्यता • पूर्ण योग्यता • आंशिक योग्यता/एनओएस प्रमाणन • अपस्किलिंग/रीस्किलिंग का दायरा • योग्यता के लिए क्रेडिट • औपचारिक शिक्षा के लिए प्रवेश पूर्वा अपेक्षाओं से छूट •प्रमाणन

1.5 परिभाषाएं

1.5.1 औपचारिक शिक्षण

औपचारिक शिक्षण वह होता है जो औपचारिक रूप से गठित शिक्षण संस्थाओं के भीतर लक्षित रूप से दिया जाता है जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, परीक्षण केंद्र आदि। विशिष्ट रूप से यह एक विहित कार्यढांचे का पालन करता है चाहे संस्थान में वास्तविक उपस्थित आवश्यक हो या नहीं। (कभी-कभी बिल्कुल विशिष्ट परिणाम होते हैं। अन्य अवसरों पर व्यापक दिशा या लक्ष्य के अनेक प्रकार होते हैं) औपचारिक शिक्षण या तो विशिष्ट परिणामों वाला होता है या शिक्षण परिणामों के लिए व्यापक दिशा या लक्ष्य निर्धारित करता है। औपचारिक शिक्षण की अवधारणा में सामान्यत: निम्नलिखित तीन आवश्यक विशेषताएं शामिल होती है, जो मिल कर शिक्षण स्थिति की औपचारिकता का निर्माण करती हैं।

क) एक विशिष्ट पाठ्यक्रम जिसमें शिक्षण के आवश्यक ब्यौरे और शिक्षण के संभावित परिणाम हों।

ख) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट शिक्षक या शिक्षकों का समूह।

ग) शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के बाद प्रमाणन जिसे औपचारिक आकलन के बाद प्रदान किया जा सकता है।

1.5.2 गैर-औपचारिक शिक्षण

जैसा देखा गया है औपचारिक शिक्षण में विशेषताओं का एक सुपरिभाषित समूह है। जब भी इनमें से एक या उससे अधिक अनुपस्थित होता है तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया ने गैर-औपचारिक ढांचा अपना लिया है। अत: यदि कोई दी गई शिक्षण प्रणाली गैर सक्रिय संचार का प्रयोग करती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें गैर-औपचारिक शिक्षण विशेषताएं हैं। इसी प्रकार गैर-औपचारिक विशेषताएं तब पाई जाती हैं जब अपनाई गई रणनीति में व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत न हो, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संपर्क की आवश्यकता कम हो और अधिकांश कार्यकलाप संस्थान से बाहर होते हों। जैसे कि उदाहरण के लिए घर में पढ़ना और पेपर वर्क या सामुदायिक कार्य।

1.5.3 अनौपचारिक शिक्षण

अनौपचारिक शिक्षण नाम ऐसे शिक्षण को दिया गया है जो ढांचागत नहीं हो और पारंपरिक, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था जैसे किसी कक्षा से बाहर होता हो। इसके कोई स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य न हों क्योंकि यह प्राय: अनियोजित और प्रशिक्षार्थी द्वारा स्वनिर्देशित होता है और शिक्षण के तरीके से योजनाबद्ध नहीं होता है। यह सामान्यत: स्वभाविक रूप से और अंजाने में या कार्य की प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षार्थी के शिक्षण की स्थिति में पड़ जाने के कारण होता है। यह प्रशिक्षार्थी चालित और अनौपचारिक शिक्षण अनेक रूपों में या आदतों में होता है जिनमें **वीडियो देखना, स्वध्याय, लेख पढ़ना, फोरम और चैट रूमों में भाग लेना, निष्पादन सहायता, कोचिंग सत्र और खेल शामिल हैं।** अनौपचारिक शिक्षण शिक्षा की वह शैली है जिसमें प्रशिक्षार्थी शिक्षण, लक्ष्य और उद्देश्यों की अपनी स्वयं की गति निर्धारित करता है।

1.5.4 पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)

आरपीएल एक आकलन प्रकिया है जो उस सीमा को निर्धारित करने के लिए व्यक्ति के औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण का आकलन करता है जिसे व्यक्ति ने अपेक्षित शिक्षण परिणामों, दक्षता परिणामों या औपचारिक ईको सिस्टम में प्रवेश के लिए मानकों और योग्यता को आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए हासिल किया है। इसका लक्ष्य है कि:

क) अविनियमित कार्यबल की दक्षताओं और कौशल के अनौपचारिक तरीके को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) से सुमेलित करना।

ख) किसी व्यक्ति की रोजगार योग्यता अवसरों को बढ़ाना तथा उच्चतर शिक्षा के वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना।

ग) ज्ञान के कतिपय विशिष्ट रूपों का अन्य रूपों से असमानता को कम करने के लिए अवसर प्रदान करना।

घ) जीवन भर अनौपचारिक रूप से सीखने को औपचारिक रूप से मान्यता देने के तरीके उपलब्ध कराना।

2. कार्यक्षेत्रों और दिशानिर्देशों के उद्देश्य

2.1 कार्यक्षेत्र

ये दिशानिर्देश कार्य कौशल ईकोसिस्टम पहले/पूर्व में अर्जित कौशल को मान्यता देने को बढ़ावा देते हैं और कुशल और कारगर ढंग से योग्यता तथा परिणामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते समय आरपीएल की योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करते हैं । ये दिशानिर्देश आरपीएल के आकलन के संबंध में एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के लिए अपनाये जाने वाले न्यूनतम मानक और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त निकायों के लिए व्यक्तियों तक उनके कौशल के कारगर ढंग से आकलन के लिए प्रस्तावित तंत्र के जरिये पहुंच बनाना, प्रशिक्षार्थियों/व्यक्तियों के लिए रोजगार (मजदूरी/ स्वयं) की दृष्टि से औपचारिक शिक्षण प्रणाली में समेकित होना सरल बनाने में सुविधा प्रदान करना है। ये दिशानिर्देश व्यावसायिक और शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने और एक मजबूत कौशल मान्यता प्रणाली स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं।

ये आरपीएल दिशानिर्देश सभी एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं पर लागू होंगे और राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे का एक अभिन्न घटक भी बनेंगे। इस प्रकार आरपीएल (कौशल उन्नयन के साथ या उसके बिना) विद्यार्थी/प्रशिक्षार्थी को उस योग्यता के लिए क्रेडिट प्राप्त और संग्रहित करने में सक्षम बनाएगा जिसके लिए उन्हें आकलन में उत्तीर्ण

होने में सफलता के अधीन आकलित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में एक सुपरिभाषित तंत्र को रेखांकित किया गया है जिसके जरिये मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकाय निम्नलिखित करने में समर्थ होंगे:

क) किसी व्यक्ति के कौशल के समुचित स्तर की पहचान करना।

ख) अनुभवजन्य शिक्षण के जरिये प्राप्त कौशल की रूपरेखा बनाना जिनमें कार्य अनुभव और मौजूदा एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता के साथ प्राप्त पेशेवर स्तर शामिल हैं।

ग) किसी व्यक्ति को उसके शिक्षण और निष्पादन परिणामों के आधार पर आकलित करना।

घ) किसी नियोजक / शिक्षा प्रदाता द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र को मान्यता देना और उस प्रमाण पत्र के आधार पर श्रम बाजार और/ या औपचारिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना।

ड.) जीवन भर सीखने को बढ़ावा देने के लिए सतत शिक्षण की मान्यता को शामिल करना।

2.2 उद्देश्य

आरपीएल दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऐसी औपचारिक योग्यता प्राप्त करने में व्यक्तियों की मदद के लिए एक गतिशील दस्तावेज प्रदान करना है जो उनके ज्ञान और कौशल के समतुल्य हो और इस प्रकार उनकी रोजगार योग्यता, स्थानांतरण, जीवन भर सीखने, सामाजिक समावेशन और आत्मसम्मान में वृद्धि करने में योगदान देना है। आरपीएल दिशानिर्देशों के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) मौजूदा कार्यबल की **पूर्व दक्षताओं को सुमेलित** करना।
2. रोजगार और शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि से यथा लागू कामगारों/ प्रशिक्षार्थियों को यदि उनकी इच्छा हो तो **प्रगति के अवसर प्रदान करके शिक्षण को औपचारिक** बनाना।
3. **व्यक्तियों की रोजगार योग्यता बढ़ाना** और/ या उद्यमी अवसरों का लाभ उठाने में उनकी क्षमता में वृद्धि करना।
4. **असमानताओं को कम करने** के लिए अवसर प्रदान करना।

5. आरपीएल के लिए एबी और एए के बीच सर्वोत्तम प्रथायें प्रदान करना।
6. औद्योगिक निकायों को उनकी कार्यबल के लिए आरपीएल संचालित करने में सक्षमा बनाना और सुविधा देना।
7. पारंपरिक/ स्वदेशी कौशल में मान्यता प्राप्त औपचारिक शिक्षण को लाना ।
8. क्रेडिट के शैक्षणिक बैंक (एबीसी) में क्रेडिट अर्जित करने और क्रेडिट के संग्रहण का प्रावधान।
9. निम्नलिखित के जरिये **रोजगार योग्यता, स्थान परिवर्तन, जीवन भर शिक्षण, सामाजिक समावेशन और आत्मसम्मान** क्षमताएं विकसित करना:

क) अनुभवजन्य शिक्षण को महत्व देकर जल्दी स्कूल छोड़ने वाले, छंटनी कामगारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित पिछड़े समूहों के लिए सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देना और उन्हें योग्यता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।

ख) एक ऐसी दक्ष और अनुकूल कार्यशक्ति के सृजन के लिए जीवन भर सीखने को प्रोत्साहित करना जो तेजी से बदलते हुए माहौल की चुनौतियों का सामना कर सकें, कौशल अंतरों को पाट सके और समग्र विकास कर सके।

ग) आगामी शिक्षा के लिए पहुंच और अवसर प्रदान करना।

घ) शिक्षा और कौशल ईकोसिस्टम में वैकल्पिक शिक्षण मार्ग प्रदान करके कार्य कुशलता और लोचशीलता में सुधार करना जिससे औपचारिक, गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण हो सके और योग्यताओं की प्राप्ति में तेजी लाई जा सके।

ड.) रोजगार योग्यता को बढ़ाना और इस प्रकार बेहतर वेतन के साथ बेहतर नौकरी में मदद करना।

च) अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलाव में योगदान देना।

3. पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के हितधारक

3.1 आवेदक/उम्मीदवार/कामगार/लाभार्थी/कर्मचारी

कोई राष्ट्रीय रूप से मान्यत प्राप्त और विश्वसनीय योग्यता किसी आवेदक/उम्मीदवार/कामगार/लाभार्थी/कर्मचारी के लिए अनेक लाभ लाती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच और जीवन भर शिक्षण को बढ़ावा देना।

ख) बेहतर नौकरी दिलावाना, औपचारिक अर्थव्यवस्था में भेजने के अवसर या एक व्यावसायिक के रूप में कार्य करने की योग्यता देना।

ग) सरकार निविदाओं और व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवायें देने हेतु आवेदन के लिए पात्रता या पहुंच प्रदान करना, इस प्रकार व्यवसाय की क्षमता में सुधार करना।

घ) समाज में प्रमाणन की संबद्ध प्रक्रिया के साथ आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा में सुधार करना।

ड.) कौशल और अपेक्षित ज्ञान में सुधार करना, क्योंकि अनेक व्यक्तियों को दक्षता के मानकों को पूरा करने के लिए उनके कौशल और ज्ञान में उन्नयन करने की जरूरत हो सकती है।

3.2 नियोजक, उद्योग, उद्योग निकाय और समुदाय

किसी अपेक्षित कौशल में योग्य और प्रमाणित मानव संसाधन होना आमतौर पर एक संगठनात्मक जरूरत होती है जिससे संगठन को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद मिलती है। उन्नत कौशल और ज्ञान वाला कार्यबल अधिक उत्पादक होगा और नवाचार तथा निवेश पर आय (आरओआई) में योगदान देगा। इसके अलावा, इससे कामगारों/कर्मचारियों के मनोबल में सुधार होता है और एक सकरात्मक शिक्षण संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

3.3 कार्यान्वयन निकाय (एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एबी और एए)

एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी आवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसियों के पास इस दिशानिर्देश के अनुसार आरपीएल आकलन और उसके बाद प्रमाणन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिदेश होगा।

3.4 प्रायोजित करने वाला/वित्तपोषण निकाय

केंद्रीय मंत्रालय / अन्य सरकारी विभाग/ राज्य / सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां (सीएसआर परियोजनाओ के जरिये, एनजीओ अन्य) अन्य समान निकाय उक्त पैरा 3.3 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिये आरपीएल आकलन करने में सुविधा दे सकते हैं।

3.5 सरकार और नियामक निकाय (एनसीवीईटी)

- एनसीवीईटी, एमएसडीई से निर्देशों और कौशल ईको सिस्टम में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अन्य जानकारी के अनुसार आरपीएल के लिए विभिन्न विनियामक मानदंडों में संशोधन/वृद्धि कर सकता है।
- आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटा सकता है।
- आरपीएल प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रकिया और कायान्वयन तंत्र विकसित करना।
- ईको सिस्टम में आरपीएल के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना।

4. प्रक्रिया और कार्यान्वयन तंत्र

आरपीएल तंत्र को एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, इस प्रक्रिया में आवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर तथा नीति शामिल हैं। कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रक्रिया में स्पष्टता के प्रयोजनार्थ आरपीएल प्रक्रिया को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: निम्नांकित तालिका विभिन्न एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तरों में विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करती है।

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर **चरण**	**स्तर 1-3.5**	**स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)**	**स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)**	**स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)**
चरण 0 **आकलनकर्ता के प्रकार को चुनना**	1. आकलनकर्ता/प्रॉक्टर [आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) कार्यक्रमों द्वारा प्रमाणित] 2. औद्योगिक विशेषज्ञ	1. ट्रेड मास्टर 2. मास्टर आकलनकर्ता 3. औद्योगिक विशेषज्ञ 4. आकलनकर्ता/प्रॉक्टर [आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) कार्यक्रमों द्वारा प्रमाणित]	1. ट्रेड मास्टर 2. मास्टर शिल्पकार 3. विरासत कौशल मास्टर 4. कौशल गुरु 5. उस्ताद 6. मास्टर आकलनकर्ता [मास्टर आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओएमए) कार्यक्रमों द्वारा प्रमाणित]	1. तकनीकी समीक्षा समिति (आवार्डिंग निकाय/स्कूल बोर्डों/एचईआई द्वारा गठित)
मूल्यांकन / आकलन की पद्धतियों की योजना	1. व्यावहारिक कौशल का आकलन केवल भौतिक पद्धति से किया जाना है। 2. सिद्धांत आकलन के लिए	1. व्यावहारिक कौशल का आकलन भौतिक पद्धति/मिश्रित पद्धति में किया जा सकता है। 2. सिद्धांत आकलन के लिए	1. व्यावहारिक कौशल का आकलन भौतिक पद्धति/मिश्रित पद्धति में किया जा सकता है। 2. ऑनलाइन/मिश्रित आकलन 3. सिद्धांत आकलन के लिए	1. पूर्व कार्य उपलब्धियों की समीक्षा 2. राज्य या केंद्र सरकार या प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा

	वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। 3. मूल्यांकन की मिश्रित पद्धतियां। (*नोट: वस्तुनिष्ठ प्रश्ना व्यक्ति/उम्मीदवार की स्थानीय भाषा में मौखिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं)*	विषयनिष्ठ प्रश्न 3. सिद्धांत आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 4. मौखिक परीक्षा 5. परियोजनाएँ/कौशल प्रदर्शन 6. हैकथॉन	वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 4. मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार	सिफारिशों का पत्र 3. व्यावहारिक/कार्यसाधक कौशल आकलन

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	**स्तर 1-3.5**	**स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)**	**स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)**	**स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)**
चरण 1 ***<u>जागरूकता</u>***	**<u>जागरूकता और लोग जुटाना</u>** ➢ आरपीएल कार्यक्रम और उसकी जरूरत तथा लाभों के बारे में जागरुकता पैदा करने लिए अभियान डिजाइन किये जाएंगे। ➢ ये अभियान आरपीएल के लिए उम्मीदवारों को जुटाने में प्रेरित करेंगे। <u>रणनीति:</u> ➢ लक्ष्य समूह की पहचान ➢ **जन जागरुकता** के विभिन्न साधनों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया,	**<u>जागरुकता एवं जानकारी</u>** ➢ संभावित उम्मीदवारों को आरपीएल के बारे में एक अवसर के रूप में जागरुक बनाया जाएगा। ➢ एबी और एए बाजार में एक **आकर्षण शक्ति** बनाने के लिए विभिन्न विपणन रणनीतियों का प्रयोग करेंगे जिसके फलस्वरूप आरपीएल कार्यक्रमों के लिए उच्चतर नामांकन होगा। <u>रणनीति:</u> ➢ लक्ष्य समूह की पहचान करना ➢ लक्ष्य समूह की पहुंच के अनुसार विज्ञापन	**<u>जागरुकता एवं जानकारी</u>** ➢ संभावित उम्मीदवारों को आरपीएल के बारे में एक अवसर के रूप में जागरुक बनाया जाएगा। ➢ एबी और एए बाजार में एक **आकर्षण शक्ति** बनाने के लिए विभिन्न विपणन रणनीतियों का प्रयोग करेंगे जिसके फलस्वरूप आरपीएल कार्यक्रमों के लिए उच्चतर नामांकन होगा। <u>रणनीति:</u> ➢ लक्ष्य समूह की पहचान करना ➢ लक्ष्य समूह की पहुंच के अनुसार विज्ञापन	**<u>जागरुकता एवं अनुप्रयोग</u>** ➢ आरपीएल कार्यक्रम के बारे में स्तर 6.5 से 8 के लिए जानकारी देने और संभावित उम्मीदवारों के बीच पहुंच बनाने के लिए जागरुकता अभियान चलाये जाएंगे। ➢ इस अभियान में आरपीएल कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरुकता बढाई जाएगी। <u>रणनीति:</u> ➢ विज्ञापन ➢ वर्ड ऑफ माउथ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन)

	आउटडोर विज्ञापन, भावी उम्मीदवारों के साथ सीधी बातचीत के जरिये राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर विज्ञापन।	➢ सफल कहानियों के जरिये वायरल विपणन ➢ वर्ड ऑफ माउथ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) ➢ सोशल मीडिया	➢ सफल कहानियों के जरिये वायरल विपणन ➢ वर्ड ऑफ माउथ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) ➢ सोशल मीडिया	सोशल मीडिया

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	**स्तर 1-3.5**	**स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)**	**स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)**	**स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)**
	सामुदायिक विज्ञापन (पंचायतों या कार्यस्थल में)			
चरण 2 ***नामांकन***	**<u>पूर्व जांच और परामर्श</u>** ➢ इस चरण में एकत्रित उम्मीवारों का नामांकन किया जाएगा और आरपीएल प्रक्रियाओं, प्रवेशन मानदंडों, आरपीएल के लाभों, कैरयर प्रगति, रोजगार योग्यता, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के अवसर आदि के बारे में बताया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को 12-15 घंटों का **अभिमुखीकरण** करना होगा। ➢ इसके अलावा उम्मीदवारों की उनके अननंतिम एनएसक्यूएफ स्तर	**<u>स्व-नामांकन और सत्यापन</u>** ➢ उम्मीदवारों को आरपीएल कार्यक्रम के लिए **स्वनामांकन** / पंजीकृत होने की अनुमति/प्रोत्साहित किया जाएगा। ➢ नामांकन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सत्यता के लिए एए द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। ➢ सभी नामांकित उम्मीदवारों को 4 से 15 घंटों का **अनिवार्य उन्मुखीकरण** प्रदान किया जाएगा। ➢ उम्मीदवारों का	**<u>नामांकन और सत्यापन</u>** ➢ उम्मीदवारों को आरपीएल कार्यक्रम के लिए नामांकन एवं पंजीकृत के लिए गाइड किया जाएगा। ➢ नामांकन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सत्यता के लिए एए द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। ➢ सभी नामांकित उम्मीदवारों को 4 से 15 घंटों का **अनिवार्य उन्मुखीकरण** प्रदान किया जाएगा। ➢ उम्मीदवारों का अनुमानित	**<u>पूर्व जांच और आवेदक के प्रोफाइल का मूल्यांकन</u>** ➢ उम्मीदवार के प्रोफाइल की पूर्व जांच एनएसक्यूएफ स्तर और कार्य अनुभव के अनुसार उम्मीदवार की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए की जाएगी। ➢ उपयुक्त उम्मीदवार का आगे और मूल्यांकन किया जाएगा और या तो **"तकनीकी समीक्षा समिति** या **कौशल बढ़ाने/उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए आरपीएल आकलन के बाद निर्देशित किया**

	निर्धारित करने के लिए पूर्व जांच की जाएगी और उसके बाद आकलन की पद्धति अर्थात या तो **''सीधे आकलन''** द्वारा या **आकलन के बाद कौशल उन्नयन की पद्धद्धि निर्धारित की जाएगी।**	अनुमानित एनएसक्यूएफ स्तर निर्धारित किया जाएगा। (या तो **स्वआकलन** या आकलनकर्ता द्वारा) ➢ नामांकन के दौरान यदि उम्मीदवार को अनुपयुक्त पाया जाता है तो वे कौशल उन्नयन मॉड्यूल/ पाठ्यक्रम ले सकते हैं और उसके बाद वे आरपीएल आकलन के लिए उपस्थित हो सकते हैं।	एनएसक्यूएफ स्तर एक आकलनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ➢ नामांकन के दौरान यदि उम्मीदवार को अनुपयुक्त पाया जाता है तो वे कौशल उन्नयन मॉड्यूल/ पाठ्यक्रम ले सकते हैं और उसके बाद वे आरपीएल आकलन के लिए उपस्थित हो सकते हैं।	**जाएगा''।**

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	**स्तर 1-3.5**	**स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)**	**स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)**	**स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)**
चरण 3 ***<u>आकलन</u>***	**<u>आकलन की प्रक्रिया</u>** ➢ **प्रत्यक्ष आकलन:** उम्मीदवार के अनुभव जन्य शिक्षण के परिणाम की रूपरेखा योग्यता शिक्षण परिणाम के 70 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। (नोट: प्रत्यक्ष आकलन के लिए दिशानिर्देश एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित एबी/एए दिशानिर्देश में प्रदान किये गये हैं।) ➢ **आकलन के बाद कौशल बढ़ाना:** यदि उम्मीदवार के अनुभव जन्य शिक्षण का परिणाम योग्यता शिक्षण परिणाम के 70	**<u>आकलन (थ्योरी + प्रैक्टिकल + मौखिक परीक्षा)</u>** ➢ ऑनलाइन पद्धति/मंच के जरिये सैद्धांतिक ज्ञान का आकलन; वेटेज 30 से 50 प्रतिशत के बीच हो सकती है (क्षेत्र/नौकरी भूमिका/योग्यता पर आधारित)। ➢ व्यावहारिक कौशल का आकलन भौतिक पद्धति पर कार्य अनुभव पर आधारित है (कतिपय उपयुक्त नौकरी भूमिकाओं के लिए ऑनलाइन मोड अपनाया जा सकता है); वेटेज 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच हो सकता है। ➢ मौखिक परीक्षा के	**<u>आकलन (थ्योरी + प्रैक्टिकल + मौखिक परीक्षा)</u>** ➢ व्यावहारिक कौशल का आकलन भौतिक पद्धति पर कार्य अनुभव पर आधारित है (वेटेज 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हो सकती है) ➢ मौखिक परीक्षा के जरिये आकलन का वेटेज 0 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो सकता है। नोट: व्यावहारिक/मौखिक परीक्षा के लिए प्रश्न योग्यताओं/ एनओएस के पीसी के अनुसार पूर्व कार्य / परियोजना कार्य अनुभव पर आधारित होंगे।	**<u>आकलन की प्रक्रिया</u>** ➢ **तकनीकी समीक्षा समिति** क्षेत्र, उद्योग, देश या व्यक्ति के विषय या व्यवसाय में महत्वपूर्ण और लंबे समय तक योगदान के अनुसार उम्मीदवार का मूल्यांकन करती है। ➢ **आकलन के साथ कौशल बढ़ाना/उन्मुखीकरण** उत्कृष्ट कार्य प्रोफाइल और अपने व्यासायिक विषय में फील्ड अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए अनुशंसित किया जाता है।

	प्रतिशत से कम होता है तो उम्मीदवार को कौशल बढ़ाने का मॉड्यूल अपनाना होगा और आकलन से पहले एनओएस/माइक्रो प्रमाणन अर्जित करना होगा। आकलन से पहले कौशल बढ़ाने की वहां भी अनुमति होगी, जहां प्रौद्योगिकी भावी कौशल और कार्यस्थल/पद्धतियों में उन्नति के कारण कौशल का अंतर काफी अधिक हो।	जरिये आकलन का वेटेज 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हो सकता है।	सैद्धांतिक आकलन का प्रावधान 0 से 10 प्रतिशत के बीच वेटेज के साथ कतिपय योग्यताओं के लिए प्रदान किया जा सकता है।	

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	स्तर 1-3.5	स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)	स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)	स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)

आकलन के लिए प्रयोग की जाने वाली शासन प्रक्रिया	➢ आकलन (किसी भी पद्धति द्वारा) के लिए बनाये गये प्रश्न राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के निष्पादन मानदंडों (पीसी) के अनुसार पूर्व कार्य/परियोजना कार्य अनुभव पर आधारित होने चाहिए। ➢ आरपीएल के प्रत्येक बैच की संख्या अधिकतम 20 से 30 उम्मीदवार होगी (क्षेत्र और कार्य भूमिकाओं पर आधारित)। ➢ आकलन किसी समूह या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक उम्मीदवार को व्याहारिक कौशल के लिए आकलित किया जाएगा। ➢ प्रत्येक आकलन जियो टैगिंग के साथ डिजिटल और वीडिया	➢ आकलन (किसी भी पद्धति द्वारा) के लिए बनाये गये प्रश्न राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के निष्पादन मानदंडों (पीसी) के अनुसार पूर्व कार्य/परियोजना कार्य अनुभव पर आधारित होने चाहिए। ➢ आरपीएल के प्रत्येक बैच की संख्या अधिकतम 20 से 30 उम्मीदवार होगी (क्षेत्र और कार्य भूमिकाओं पर आधारित)। ➢ आकलन किसी समूह या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक उम्मीदवार को व्याहारिक कौशल के लिए आकलित किया जाएगा। ➢ प्रत्येक आकलन जियो टैगिंग के साथ डिजिटल और वीडिया साक्ष्यों	➢ आकलन (किसी भी पद्धति द्वारा) के लिए बनाये गये प्रश्न राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के निष्पादन मानदंडों (पीसी) के अनुसार पूर्व कार्य/परियोजना कार्य अनुभव पर आधारित होने चाहिए। ➢ आरपीएल के प्रत्येक बैच की संख्या अधिकतम 20 से 30 उम्मीदवार होगी (क्षेत्र और कार्य भूमिकाओं पर आधारित)। ➢ आकलन किसी समूह या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक उम्मीदवार को व्याहारिक कौशल के लिए आकलित किया जाएगा। ➢ प्रत्येक आकलन जियो टैगिंग के साथ डिजिटल और वीडिया साक्ष्यों	**तकनीकी समीक्षा समिति के लिए** ➢ तकनीकी समीक्षा समिति में कम से कम 7 सदस्य होंगे जिसमें एबी का सीईओ/प्रमुख एबी का मानक प्रमुख, क्षेत्रीय/औद्योगिक विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और विनियामक निकायों से एक सदस्य शामिल होगा। एक अध्यक्ष समिति का प्रमुख होगा। ➢ उम्मीदवादरों से प्राप्त आंकड़ों का एक रिकार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से स्टोर किया जाना चाहिए। **आकलन के साथ कौशल बढ़ाने के लिए** ➢ आकलन (किसी भी पद्धति द्वारा) के लिए बनाये गये प्रश्न राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) के निष्पादन मानदंडों

	साक्ष्यों द्वारा प्राक्टर्ड और समर्थित होगा। ➢ आकलन एजेंसियां व्यावहारिक आकलन करने और आकलन के साक्ष्य रिकार्ड करने लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/मंच विकसित और प्रचालित करेंगी।	द्वारा प्राक्टर्ड और समर्थित होगा। ➢ आकलन एजेंसियां व्यावहारिक आकलन करने और आकलन के साक्ष्य रिकार्ड करने लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/मंच विकसित और प्रचालित करेंगी।	द्वारा प्राक्टर्ड और समर्थित होगा। ➢ आकलन एजेंसियां व्यावहारिक आकलन करने और आकलन के साक्ष्य रिकार्ड करने लिए एक ऑनलाइन पोर्टल/मंच विकसित और प्रचालित करेंगी।	(पीसी) के अनुसार पूर्व कार्य/परियोजना कार्य अनुभव पर आधारित होने चाहिए। ➢ प्रत्येक आकलन जियो टैगिंग के साथ डिजिटल और वीडिया साक्ष्यों द्वारा प्राक्टर्ड और समर्थित होगा। ➢ आवार्डिंग निकाय आकलन करने और आकलन के साक्ष्य रिकार्ड करने लिए एक अएसओपीएस तैयार करेगा।

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	स्तर 1-3.5	स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)	स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)	स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)
चरण 4 ***प्रमाणन और फीडबैक***	➢ आकलनकर्ता उम्मीदवारों का परिणाम बनाने के लिए सभी साक्ष्यों और उत्तर सीटों का विश्लेषण करेगा। ➢ सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, योग्यताएं, क्रेडिट, आकलन रिपोर्ट आदि प्रदान किये जाएंगे। ➢ असफल उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और आकलन रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। ➢ प्रत्येक उम्मीदवार से आरपीएल कार्यक्रम के बारे में फीडबैक के लिए अनुरोध किया जाएगा।	➢ आकलनकर्ता उम्मीदवारों का परिणाम बनाने के लिए सभी साक्ष्यों और उत्तर सीटों का विश्लेषण करेगा। ➢ सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, योग्यताएं, क्रेडिट, आकलन रिपोर्ट आदि प्रदान किये जाएंगे। ➢ असफल उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और आकलन रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। ➢ प्रत्येक उम्मीदवार से आरपीएल कार्यक्रम के बारे में फीडबैक के लिए अनुरोध किया जाएगा।	➢ आकलनकर्ता उम्मीदवारों का परिणाम बनाने के लिए सभी साक्ष्यों और उत्तर सीटों का विश्लेषण करेगा। ➢ सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, योग्यताएं, क्रेडिट, आकलन रिपोर्ट आदि प्रदान किये जाएंगे। ➢ असफल उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और आकलन रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। ➢ प्रत्येक उम्मीदवार से आरपीएल कार्यक्रम के बारे में फीडबैक के लिए अनुरोध किया जाएगा।	➢ सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, योग्यताएं, क्रेडिट, आकलन रिपोर्ट आदि प्रदान किये जाएंगे। ➢ असफल उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और आकलन रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। ➢ प्रत्येक उम्मीदवार से आरपीएल कार्यक्रम के बारे में फीडबैक के लिए अनुरोध किया जाएगा।

एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर चरण	स्तर 1-3.5	स्तर 4-6 (12वीं के साथ अनुभव, यूजी-पीजी कर रहे हों)	स्तर 4-6 (औपचारिक शिक्षा के बिना)	स्तर 6.5-8 (पीजी और पीएचडी)
आरपीएल के लिए प्रयुक्त मामले	**<u>उम्मीदवार का व्यक्तित्व</u>** **नाम:** ए **कार्य पदनाम:** निर्माण स्थल पर सहायक **आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत नौकरी में भूमिका:** सहायक स्कैफ़ोल्डर (स्तर 2, 2.5, 3), सेक्टर निर्माण **आयु :** 22 **शिक्षा :** पढ़ने और लिखने की क्षमता **अनुभव:** 4 वर्ष 'ए' ने अपने निर्माण स्थल पर एक पोस्टर देखा और अपने एक निकटतम कौशल केंद्र में आरपीएल कार्यक्रम के बारे में	**<u>उम्मीदवार का व्यक्तित्व</u>** **नाम:** बी **कार्य पदनाम:** आईटी कार्यकारी (हार्डवेयर) **आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत नौकरी में भूमिका:** हार्डवेयर नेटवर्किंग और सूचना सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा (स्तर 5) **आयु :** 24 **शिक्षा :** 12वीं पास **अनुभव:** 4 वर्ष 'बी' ने एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक विज्ञापन देखा और अपने एक निकटतम आईटी	**<u>उम्मीदवार का व्यक्तित्व</u>** **नाम:** सी **कार्य पदनाम:** मुख्य मैकेनिक का सहायक **आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत नौकरी में भूमिका:** ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग मैकेनिक (स्तर 4,5) **आयु :** 25 **शिक्षा :** 5वीं पास **अनुभव:** 6 वर्ष 'सी' ने एक स्थानीय अखबार में एक विज्ञापन देखा और अपने एक निकटतम कौशल केंद्र में	**<u>उम्मीदवार का व्यक्तित्व</u>** **नाम:** डी **कार्य पदनाम:** फ्रीलैंसर (सॉफ्टवेयर डेवलपर) **आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत नौकरी में भूमिका:** एडवांस कंप्यूटिंग में पीजी-डिप्लोमा इन (स्तर 7) **आयु :** 35 **शिक्षा :** बीसीए **अनुभव:** 10 वर्ष **उत्कृष्ट कार्य उपलब्धि** 'डी' ने एमएनसी के लिए अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक डिलीवर किया है।

	जानने लिए आया उसे यह पता चला कि आरपीएल स्केफोल्डिंग व्यवसाय में चार वर्ष के कार्य अनुभव से प्राप्त उसके कौशल के लिए एक प्रमाण पत्र दे सकता है। वह कौशल केंद्र में गया और आरपीएल कार्यक्रम में नामांकित हुआ। नामांकन के बाद वह ऊपर यथा वर्णित आरपीएल आकलन प्रक्रिया से गुजरा उसे आकलन में सफल घोषित किया गया और क्रेडिट के साथ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 का आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।	कौशल केंद्र में आरपीएल कार्यक्रम के बारे में जानने लिए आया। वह कौशल केंद्र गया और आरपीएल कार्यक्रम के लिए स्वयं को नामांकित किया। उसने अपने अनुमानित एनएसक्यूएफ स्तर के निर्धारण हेतु स्वयं का आकलन किया। नामांकन के बाद वह ऊपर यथा वर्णित आरपीएल आकलन प्रक्रिया से गुजरा उसे आकलन में सफल घोषित किया गया और और क्रेडिट के साथ हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सूचना सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा। (स्तर 5) का आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।	आरपीएल कार्यक्रम के बारे में जानने लिए आया। वह कौशल केंद्र में गया और कौशल केंद्र के अधिकारी से मदद से आरपीएल कार्यक्रम के लिए नामांकित हुआ। वह अपने अनुमानित एनएसक्यूएफ स्तर के निर्धारण हेतु आकलनकर्ता द्वारा आकलित किया गया। नामांकन के बाद वह ऊपर यथा वर्णित आरपीएल आकलन प्रक्रिया से गुजरा उसे आकलन में सफल घोषित किया गया और क्रेडिट के साथ ऑटोमोबाइल मरम्मत मैकेनिक (स्तर 4) का आरपीएल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।	डी को अपने एक घनिष्ठ मित्र से आरपीएल कार्यक्रम के बारे में पता चला उसने अपनी उपलब्धि के प्रत्येक संगत ब्यौरे/ दस्तावेज को प्रस्तुत करके आरपीएल कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। एबी / एए ने डी के आवेदन को स्वीकृत किया और उसके आवेदन को आईटी - आईटीईएस आवार्डिंग निकाय की तकनीकी समीक्षा समिति को भेजा गया। डी के प्रोफाइल से आकलन के बाद समिति ने उसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों संबंधी कौशल वृद्धि का पाठ्यक्रम को पूरा करने के अधीन आरपीएल आकलन के लिए उपयुक्त पाया। तत्पश्चात डी ने देवआप्स संबंधी एक कौशल संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया। उसके बाद उसकी अद्यतन प्रोफाइल अंतिम समीक्षा/आकलन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। डी को सफल घोषित किया गया और आरपीएल प्रमाण पत्र तथा संगत क्रेडिट प्रदान किये गये।

	प्राप्त लाभ: 1. अब ए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र के रूप में अपने कौशल को दिखा सकता है। इससे उसके कैरियर की आगे प्रगति भी स्पष्ट हुई । 2. ए अपने नियोजक पास गया, जहां उसे ''हेल्पर'' के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने सहायक स्केफोल्डर (एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 2.5) का आरपीएल प्रमाण पत्र दिखाया। नियोजक को उसके वास्तविक कौशल का पता चला और उसने उसे सहायक स्केफोल्डर के रूप में पदोन्नति किया। इससे उसका वेतन भी बढ़ गया। इस प्रकार आरपीएल प्रमाण पत्र ने ए की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का उन्नयन किया।	**प्राप्त लाभ:** 1. अब ए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र के रूप में अपने कौशल को दिखा सकता है। इससे उसके कैरियर की आगे प्रगति भी स्पष्ट हुई । 2. बी अपने नियोजक पास गया, जहां उसे आईटी कार्यकारी (हार्डवेयर) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने अपना हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सूचना सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा। (स्तर 5) का आरपीएल प्रमाण पत्र दिखाया । नियोजक उसके वास्तविक कौशल पता चला और उसने उसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपग्रेड किया। इससे उसका वेतन भी बढ़ गया। इस प्रकार आरपीएल प्रमाण पत्र ने बी की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का उन्नयन किया।	**प्राप्त लाभ:** 1. अब सी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र के रूप में अपने कौशल को दिखा सकता है। इससे उसके कैरियर की आगे प्रगति भी स्पष्ट हुई । 2. सी अपने नियोजक पास गया, जहां वह ''मुख्य मैकेनिक के सहायक'' रूप में नियुक्त था और उसने ऑटोमोबाइल मरम्मत मैकेनिक (स्तर 4) का अपना आरपीएल प्रमाण पत्र दर्शाया। उसके नियोजक को उसके वास्तविक कौशल का पता लगा और उसने उसे ऑटोमोबाइल मरम्मत मैकेनिक के रूप अपग्रेड किया। इससे उसका वेतन भी बढ़ गया। इस प्रकार आरपीएल प्रमाण पत्र ने सी की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का उन्नयन किया।	**प्राप्त लाभ:** 1. डी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र के रूप में अपना उच्चतर कौशल दिखा सकता है। 2. डी ने एक एनएमसी जिसके लिये उसने पहले एक परियोजना पूरी की थी, में सीनियर डेवलपर (आईटी) के पद के लिए आवेदन किया । वह अच्छे वेतन पैकेज के साथ सीनियर डेवलपर (आईटी) के पद पर नियुक्त किया गया।

फ्लोचार्ट	**<u>अनुबंध 1 देखें</u>** **<u>फ्लोचार्ट संख्या: 1</u>**	**<u>अनुबंध 1 देखें</u>** **<u>फ्लोचार्ट संख्या: 2</u>**	**<u>अनुबंध 1 देखें</u>** **<u>फ्लोचार्ट संख्या: 3</u>**	**<u>अनुबंध 1 देखें</u>** **<u>फ्लोचार्ट संख्या: 4</u>**

<u>नोट किये जाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु</u>

1. आवेदन/नामांकन ब्यौरे में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित जानकारी का एक संक्षिप्त विवरण शामिल होगा:
   i. नाम और प्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी
   ii. आरपीएल प्रमाणन के लिए तर्काधार
   iii. समर्थन पत्र/सिफारिश पत्र
   iv. अनुभव पत्र
   v. क्षेत्र, उद्योग और/ या समुदाय में उत्कृष्ट सेवा, यदि को हो।

2. अनुभव प्रमाण पत्र जैसे समर्थक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के मामले में आवार्डिंग निकाय/आकलन एजेंसी उम्मीदवार से एक शपथ पत्र के रूप में अपने कार्य अनुभव की स्वघोषणा करने के लिए कह सकती है और आरपीएल आकलन में उम्मीदवार को बैठने की अनुमति देने से पहले अभियोग्यता परीक्षा ले संचालित कर सकती है।

3. अभिमुखीकरण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में रोजगार योग्यता कौशल, कैरियर प्रगति, क्षेत्र संबंधी कौशल और आरपीएल कार्यक्रम का परिचय, आकलन प्रक्रियायें और पद्धतियों संबंधी जानकारी सत्र शामिल होंगे। इस सत्र के दौरान उम्मीदवार को योग्यता के शिक्षण परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

4. आवार्डिंग निकाय/आकलन एजेंसी उम्मीदवारों के बीच स्वआकलन को बढ़ावा देने के लिए पद्धतियां और सहायता उपलब्ध कराएगी।

5. आकलन यह सुनिश्चित करते हुए एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हो।

6. आवार्डिंग निकाय ऐसी योग्यताओं / नौकरी की भूमिकाओं की पहचान कर सकती है जिनके लिये ऑनलाइन प्रैक्टिकल आकलन संभव हो और उसे ऑनलाइन पद्धति से संचालित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है।

7. आरपीएल के लिए इस शर्त के अधीन किसी औपचारिक प्रवेश योग्यता पर जोर नहीं दिया जाएगा कि आरपीएल आकलन एनसीवीईटी के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। (संदर्भ: एनसीआरएफ, खंड 3.3.3, तालिका:6)

8. आकलन की पद्धतियां संकेतात्मक हैं और क्षेत्र/कार्य भूमिका के आधार पर पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं।

9 एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार विस्तृत आकलन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

10. आकलन रिपोर्ट में योग्यता के एनओएस और पीसी के संबंध में उम्मीदवारों के निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण शामिल होगा।

11. आरपीएल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एबी, एए और अन्य हितधारकों जैसे ओईएम, कौशल विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, स्कूल बोर्डों, विभिन्न मंत्रालयों आदि द्वारा नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

आवार्डिंग निकाय (एबी) की भूमिका

5.1 आरपीएल आकलन के संबंध में महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य

एक आवार्डिंग निकाय (एबी) ऐसी एक संस्था है जिसे गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण और विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करके एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता के लिए प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता दी गई है। आरपीएल आकलन और प्रमाणन करने के संबंध में एबी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे नीचे बताया गया है:

क. किये जाने वाले आरपीएल आकलनों के लिए योग्यता के संगत शिक्षण परिणामों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना।

ख. प्रत्यायित आरपीएल सलाहकार/परामर्शदाता के भूमिकायें परिभाषित करना (आरपीएल सलाहकार/परामर्शदाता एक प्रैक्सिनर/व्यक्ति होता है जो आरपीएल प्रक्रिया और अपेक्षाओं तथा किसी आकलन के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में उम्मीदवार का मार्गदर्शन करता है)।

ग. राज्य / जीओआई/उद्योग से मान्यता प्राप्त/सम्मानित मास्टर कुशल कामगार, ट्रेड के मास्टर, विरासत/परंपरा कौशल मास्टर, कौशल गुरू, विशिष्ट कौशल के लिए उस्तादों को सूचीबद्ध करना।

घ. विभिन्न आरपीएल डिलीवरी श्रृंख्लाओं की पहचान और उनकी विश्वसनीयता स्थापित करना।

ड. पूर्व निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं के जरिये निष्पक्ष और विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसियों को नियोजित करना।

च. क्षेत्र के विनिर्देशनों के अनुसार आरपीएल कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास।

छ. विषय वस्तु के विशेषज्ञों (एसएमपी), उद्योग विशेषज्ञों, ट्रेड मास्टरों और मास्टर आकलनकर्ताओं को पैनलबद्ध करना, जिन्हें आरपीएल योग्यता/पाठ्यक्रम, वैधीकरण तथा आकलन प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाएगा।

ज. आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को संबद्ध और प्रत्यायित करना।

झ. आरपीएल प्रक्रियाओं की निगरानी।

ञ. एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता में प्रशिक्षार्थियों को आरपीएल प्रमाणन प्रदान करना।

ट. शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

ठ. एनसीवीईटी की इस नीति और किसी विशिष्ट अपेक्षा के अनुसार आरपीएल को कार्यान्वित करने के लिए क्षमता को प्रगतिशील रूप से विकसित करना और बढ़ाना।

ड. यह सुनिश्चित करना कि उनके पास गुणवत्ता युक्त आरपीएल सेवायें और कार्यक्रम प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यक संख्या मौजूद हैं।

ढ. सभी कार्यक्रमों और सेवाओं में सहायता के लिए आरपीएल प्रशासनिक और लॉजिस्टिक प्रणालियों की कारगर योजना और वित्तपोषण सुनिश्चित करना।

ण. आरपीएल आकलनकर्ताओं के पंजीकरण और सतत पेशेवर विकास में प्रोत्साहन और सहायता के लिए प्रणालियां और प्रक्रियायें स्थापित करना।

आकलन एजेंसी (एए) की भूमिका

आकलन एजेंसी (एए) को एक ऐसी एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस आकलन के लिए परीक्षण या परीक्षा संचालित करती है कि क्या किसी प्रशिक्षार्थी ने किसी कौशल या योग्यता के संबंध में दक्ष और योग्य होने की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है। आरपीएल आकलन के संबंध में एए के कार्य नीचे उल्लिखित हैं:

क. आरपीएल आकलन रणनीति, मानक प्रचालन प्रक्रियायें (एसओपी) / प्रश्न बैंक विकास, आकलन विश्लेषण के लिए जांच सूची तैयार करना, आकलनकर्ताओं, प्रॉक्टरों और एसएमई आदि की भूमिकायें और उत्तरदायित्व तैयार करना।

ख. सभी भाषाओं और प्रशिक्षार्थी समूहों में पहुंच योग्य मानकीकृत आकलन साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ग. ऐसे उद्योग विशेषज्ञों, ट्रेड के मास्टर, मास्टर आकलनकर्ता, आकलनकर्ता और प्रॉक्टरों की प्रॉक्टर उपलब्धता सुनश्चित करना जो आरपीएल की डिलीवरी में प्रशिक्षित हों।

घ. आरपीएल आकलन बैच के लिए समुचित आकलनकर्ता (उद्योग विशेषज्ञ/ट्रेड के मास्टर / मास्टर आकलनकर्ता/प्रमाणित आकलनकर्ता और प्रॉक्टर) आवंटित करना।

ड. गुणवत्ता आस्वस्त मानकीकृत आरपीएल आकलन संचालित करना और साक्ष्य और परिणामों को अपलोड/रिकार्ड करना।

6.1 आरपीएल के लिए विभिन्न प्रकार के आकलनकर्ताओं की मान्यता

6.1.1 प्रमाणित मास्टर आकलनकर्ता, और आकलन एजेंसियों के आकलनकर्ता

मास्टर आकलनकर्ता, आकलनकर्ता और प्रॉक्टर ऐसे कुशल पेशेवर होते हैं जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं के संबंध में आरपीएल प्रशिक्षार्थियों/बैचों के आकलन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वे एनसीवीईटी द्वारा पूर्व परिभाषित मापदंडों के आधार पर आवार्डिंग निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित होते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्यौरे एनसीवीईटी द्वारा तैयार किये गये टीओए दिशानिर्देशों में उपलब्ध हो सकते हैं।

6.1.2 उद्योग द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त उद्योग विशेषज्ञ

एक उद्योग विशेषज्ञ अधिमानत: किसी उद्योग विशेष के भीतर से होता है जिसके पास अपने क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव, विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उन्हें आरपीएल बैचों के आकलन के लिए एबी/एए द्वारा सीधे पैनलबद्ध किया जा सकता है। इन विशेषज्ञों की सेवायें एए / एबी के विवेकानुसार घंटे के आधार पर या बैचवार और परस्पर रूप से सहमत पारिश्रमिक का उन्हें भुगतान करके प्राप्त की जा सकती हैं।

6.1.3 दोहरी भूमिका में आकलनकर्ता ('आकलनकर्ता के रूप में प्रशिक्षक' या ' प्रशिक्षक के रूप में आकलनकर्ता')

आकलनकर्ता के रूप में प्रशिक्षक: ऐसे आवार्डिंग निकायों (दोहरी श्रेणी) के मामले में जो अपने परिसर/संस्थान के भीतर प्रशिक्षण और आकलन दोनों निष्पादित कर सकते हैं वहां प्रशिक्षक/अनुदेशक आकलनकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

प्रशिक्षक के रूप में आकलनकर्ता: कुछ मामलों कोई आकलनकर्ता प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है। आकलनकर्ता पूरी योग्यता संबंधी प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर सकता है। परंतु वह उन्मुखीकरण कार्यक्रमों या कुछ एनओएस/सूक्ष्म प्रमाणन आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

नोट: आकलनकर्ता की दोहरी भूमिका संबंधी विभिन्न प्रयोग-मामले अनुबंध-II में संलग्न हैं।

6.2 विभिन्न प्रकार के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) में आकलनकर्ताओं की भूमिका

क. आवेदक / व्यक्ति के आरपीएल का यथा परिभाषित शिक्षण परिणामों के तहत आकलन और मूल्यांकन करता है।

ख. प्रमाणिकता, विश्वसनीयता, विश्वास और सत्यनिष्ठा के संबंध में साक्ष्य सुनश्चित करना।

ग. यह सुनिश्चित करना कि आवेदक ने प्रत्यक्ष आरपीएल आकलनों के लिए सभी घोषित शिक्षण परिणामों के 70 प्रतिशत अधिक पूरा कर लिया है।

घ. यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत आवेदक ने योग्यता के ज्ञान, कौशल और दक्षता के तर्कों को पूरा कर लिया है।

ड. आकलनकर्ता योग्यता के लिए निर्धारित अंक और ग्रेडिंग तंत्र के अनुसार साक्ष्य को स्कोर और ग्रेड करेगा। यदि कोई योग्यता इकाई मानकों में और उनके विशिष्ट परिणामों में वर्णित है तो उन परिणामों के लिए आकलन मापदंड को आवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

7. ज्ञान, कौशल और सक्षमता के आकलन के प्रकार

पद्धति	वर्णन
ऑनलाइन/ऑफलाइन/मिश्रित पद्धति के जरिये सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा (मौखिक/लिखित परीक्षा, बहुविकल्पीय, विषयनिष्ठ योग्यता, परीक्षा)।	सैद्धांतिक ज्ञान के आकलन का उद्देश्य ज्ञान कौशल का मूल्यांकन करना या शिक्षण परिणामों और दक्षता परिणामों की उपलब्धि का मापना है तथा अधिक कारगर मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण के बाद सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति के आकलन के लिए अनेक पद्धतियां प्रयोग की जा सकती हैं। ये कागज आधारित या ई-शिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में हो सकते हैं।
व्यावहारिक/कार्यात्मक कौशल/कौशल प्रदर्शन की परीक्षा	वर्णित पद्धतियां उम्मीदवारों का अनुभवजन्य शिक्षण से सीखे गये उनके

	मोटर कौशल का मूल्यांकन करती हैं।
नौकरी का कार्य, परियोजनाएं, कार्यभार, भूमिका, प्रैक्टिकल परीक्षाएं	यह पद्धतियां प्रशिक्षु, नौकरी पर प्रशिक्षण, परियोजनाओं आदि के रूप में वास्तविक कार्य दशाओं में सैद्धांतिक और व्याहारिक कौशलों में कारगर प्रयोग के लिए उम्मीदवारों का आकलन करती हैं।
कौशल प्रदर्शन, कार्य आकलन और/ या सिमुलेशन	सिमुलेशन से आवश्यक कौशल के प्रदर्शन के लिए वास्तविक माहौल के समान वर्चुअल वातावरण होता है। यह पद्धति सापेक्ष मजबूती और कमजोरी के क्षेत्र को विशेष रूप से दर्शाने में उपयोगी हो सकती है और अनुपस्थित घटकों के समाधान के लिए पाठ्यक्रम में सुधार हेतु प्रयोग की जा सकती है।
समूह प्रैक्टिकल परीक्षा	यह उम्मीदवार की टीम वर्क क्षमता की परीक्षा करेगी। इससे समूल डायनेमिक्स के विभिन्न मापदंडों के बारे में उम्मीदवार का मूल्यांकन होगा।
व्यावहारिक/कार्यात्मक कौशल संबंध मौखिक परीक्षा	मौखिक परीक्षा एक संचालित आकलन है जिसमें उम्मीदवार मौखिक रूप से (लिखित के बजाय) दिये गये कार्य के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इस पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवारों से उनके व्यावहारिक/कार्यात्मक कौशल से जुड़ी संकल्पनाओं, पद्धद्धियों, प्रक्रियाओं आदि को स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है।

उच्चतर स्तर के कौशलों में आरपीएल: 360 डिग्री आकलन	360 डिग्री आकलन एक कार्य निष्पादन प्रबंधन साधन है जो कार्य निष्पादन और सुधार क्षेत्रों के बारे में अनेक स्रोतों से कर्मचारियों द्वारा फीडबैक लेने के लिए लक्षित है। 360 डिग्री मूल्यांकन में समीक्षाधीन व्यक्ति अपने साथ कार्य करने वाले लोगों से फीडबैक प्राप्त करता है। ये समीक्षायें समकक्षों, अधीनस्थों, प्रत्यक्षा रिपोर्टों, टीम के साथियों और यहां तक बाहरी पक्षकारों जैसे विक्रेताओं / ग्राहकों से भी आ सकती है जिन्हें प्रक्रिया का रेटर कहा जाता है।
मिश्रित आकलन पद्धतियां	इस प्रकार के आकलन विभिन्न शिक्षण प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं जो व्यावसायिक, कक्षा आधारित, सहयोगात्मक शिक्षण पद्धतियों (ऑनलाइन या ऑफलाइन) के रूप में हो सकती है। विभिन्न आकलनों को अंतिम आउटकम परिणाम प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक रूप से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए अंतरनिहित सतत/रचनात्मक/शिक्षण परिणामों की जांच के लिए सारांश आकलन के साथ प्रॉक्टर्ड विषयवस्तु डिलीवरी साधन पर आधारित एलएमएस इस प्रकार के आकलन तकनीकी उन्नति पर भरोसा करते हैं जिनमें वर्चुअल प्रयोगशालायें आदि शामिल हो सकती हैं।

मूल्यांकन आधारित उपलब्धियां/पुरस्कार	इस प्रकार के आकलन में किसी व्यक्ति / उम्मीदवार/प्रशिक्षार्थी को समाज, क्षेत्र, उद्योग आदि में दीर्घावधिक योगदान के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। उदाहरण के लिए: कोई व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक जीता है। तत्पश्चात उस व्यक्ति पर कतिपय प्रकार के आरपीएल आकलन और प्रमाणन के लिए विचार और मूल्यांकन किया जा सकता है।
हैकथॉन आधारित आकलन	हैकथॉन गहन, समयबद्ध आयोजन होते हैं जिनमें लोग बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए समूह में सहयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के जरिये भागीदार अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रमाणित, सतत आकलन नीतियों के लिए नवाचारी और अभ्यास से प्राप्त विचार उत्पन्न करेंगे। *कृपया विस्तृत पद्धति के लिये **अनुबंध-3 देखें।***

नोट:

1. आकलन पद्धतियों की उक्त सूची की प्रकृति सांकेतात्मक है।
2. आकलन पद्धतियां भारतीय भाषाओं में भी की जाएंगी।

8. आरपीएल आकलन के लिए डिलीवरी चैनल और अनुशंसित केंद्र / स्थान

8.1 आवार्डिंग निकाय (एबी)/एबी के संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता/केंद्र

कोई व्यक्ति आवार्डिंग निकाय / प्रशिक्षण केंद्र (एबी द्वारा मान्यता प्राप्त) में जा सकता है और उस केंद्र में उपलब्ध आरपीएल आकलन के लिए अनुरोध कर सकता है।

8.2 कार्यस्थल या कार्यशाला (पारंपरिक/स्वदेशी कौशल के लिए)

एनईपी 2020 प्राचीन और भारतीय साश्वत ज्ञान की समृद्धि विरासत पर जोर देती है और धरोहर कौशल को पोषित करने को बढ़ावा देती है और इसके अलावा, हमारी शिक्षा प्रणाली में शोध, वृद्धि और नये प्रयोगों को करने पर जोर देती है। विभिन्न पारंपरिक (स्वदेशी) कौशल/व्यवसाय के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) शिल्पकारों और कुशल कामगारों की क्षमता को मानने और मान्यता देने की एक अभिन्न नीति है जिससे उनकी कौशल वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और औपचारिक क्षेत्रों में वे मुख्य धारा में आते हैं। विभिन्न पारंपरिक (स्वदेशी) कौशल/व्यवसाय के लिए मांग संबंधी आरपीएल काफी प्रभावी हो सकता है। विशेष रूप से उन कौशलों के लिए जो **लुप्त होने की कगार पर हैं।**

इन पारंपरिक (स्वदेशी) कौशल/व्यवसाय के लिए आरपीएल पर उनकी विलक्षण प्रकृति के कारण विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाए:

क. ये कौशल पारंपरिक हाथ के औजारों का प्रयोग करते हैं।

ख. ये कौशल आमतौर पर अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार किसी उत्पाद को बनाने या कार्य को पूरा करने के लिए लंबा समय लेते हैं।

ग. इन कौशलों पर केवल कुछ लोगों (स्वदेशी लोग) / परिवारों द्वारा कार्य किया जाता है।

घ. विशिष्ट रूप से इन कौशलों के लिए कोई औपचारिक शिक्षण पद्धति नहीं है। इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता है।

ड. इन कौशलों का औद्योगिकीकरण/दायरा बढ़ाना आमतौर पर संभव नहीं है। इनमें से अधिकांश कौशल में आरपीएल आकलन के लिए एक विशेष डिलीवरी चैनल की आवश्यकता होती है जिसमें आरपीएल कामगार के घर पर/कामगार की कार्यशाला में हो सकता है।

पारंपरिक (स्वदेशी) कौशलों/व्यवसायों संबंधी विस्तृत सूचना और उसके आकलन की प्रक्रिया अनुबंध 4 में संलग्न है।

8.3 व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधाओं वाले कॉलेजों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आरपीएल

विश्वविद्यालय/कॉलेज ये सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी चैनल बनाते हैं जो प्रवेश और/ या क्रेडिट समतुल्यता के लिए पूर्व शिक्षण को मान्यता देने हेतु आरपीएल संचालित/ प्रचालित कर सकते हैं। ऐसे कुछ भावी विद्यार्थी हो सकते हैं जो किसी पाठ्यक्रम/ योग्यता विशेष के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालय की प्रवेश की अपेक्षा (प्रवेश सूचना प्रकाशन के अनुसार) को पूरा करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम न हों। परंतु वे उस पाठ्यक्रम / योग्यता में सफल होने की अपनी क्षमता / सक्षमता के लिए पर्याप्त और संगत वैकल्पिक साक्ष्य देने में सक्षम हों। ऐसी परिस्थितियों में आरपीएल को संगत वैकल्पिक साक्ष्य देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, आरपीएल प्रावधान को विद्यार्थियों की क्षमता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में प्रयोग किया जा सकता है।

आरपीएल शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों से परिवर्तन तथा इसकी विपरीत प्रक्रिया की अनुमति भी देता है और शिक्षा के विकल्प और कैरियर के अवसरों में वृद्धि करता है।

8.4 औद्योगिक समूह जहां परीक्षण संचालित किए जा सकते हैं

यह अनुशंसित है कि आकलनों को उस स्थान पर मौके पर संचालित किया जाये जहां कामगार/कर्मचारी उपलब्ध हों/ किसी विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग या पारंपिक संबंधी कौशल में बड़ी संख्या में पहले से कार्यरत हों। आरपीएल को "कौशल केंद्र" पहलों में इस डिलीवरी चैनल के अंतर्गत विचारित किया जा सकता है।

8.5 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) पर आरपीएल

आरपीएल आधारित आकलन संचालित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र को विकसित या अभिज्ञात किया जा सकता है और उनमें आकलन एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी/एए द्वारा प्रदान किया जा सकता है। एबी उद्योग/एचईआई, उद्योग निकायों आदि के साथ सीओई की पहचान या विकास करेगा।

8.6 रोजगार का स्थान/कार्यस्थल

आरपीएल मूल्यांकन का यह प्रकार नियोजक के परिसर में कार्यस्थल पर किये जाने के लिए अनुशंसित है। इस डिलीवरी चैनल कार्य पद्धति में एक प्रमुख चुनौती यह है कि अनेक क्षेत्रों में कामगार/ कर्मचारी दिहाड़ी मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। नियोजकों को स्पष्ट परेशानियां होती हैं और वे आरपीएल आकलन/ कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए अपने कामगारों को भेजने में अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय नुकसान होता है। अत: कुछ मामलों में नियोजकों/कामगारों के लिए ''मजदूरी क्षतिपूर्ति'' के प्रावधान पर विचार किया जाए ताकि कामगार और नियोजक दोनों प्रेरित हो सकें।

8.7 एग्रीगेटर्स के जरिये मांग पर आकलन (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन)

यह डिलीवरी चैनल ऐसे सभी कौशल मांगकर्ताओं को अवसर प्रदान करता है जो ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा देना और प्रमाणित होना चाहते हैं। इसे यदि प्रशिक्षार्थी आकलित और प्रमाणित होना चाहते हों तो शुल्क आधारित कार्यक्रम के रूप में भी प्रस्तावति किया जा सकता है। इसे आदर्श रूप में एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यायित/ निर्दिष्ट केंद्रों से प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

8.8 व्यावसायिक शिक्षा/कौशल प्रयोगशाला वाले स्कूलों/कौशल केंद्रों में आरपीएल (स्थानीय कार्यबल के लिए)

आरपीएल की अवधारणा को व्यक्तियों के लिए उसी स्तर या उसके उच्चतर स्तर पर सक्षमता के स्तरों और संबंधित विनियामक अनुपालनों को पूरा करने और अपेक्षित आकलन उत्तीर्ण करने के अधीन विषय/योग्यता के लिए आकलित किये जाने हेतु विकल्प देने के लिए सामान्य शिक्षा क्षेत्र तक भी बढ़ाया जा सकता है। इससे प्रशिक्षार्थी को मांग पर परीक्षा / आकलन का विकल्प कारगर ढंग से मिल जाएगा। एनआईओएस एक उदाहरण है जो ऐसे प्रशिक्षार्थियों के लिए मांग पर परीक्षा का विकल्प देता है जिन्होंने किसी शिक्षा ग्रेड विशेष के लिए आकलन हेतु स्वध्याय / शिक्षण के अपेक्षित संख्या में वर्षों को पूरा कर लिया है। स्कूल शिक्षा में आरपीएल का विकल्प देने के लिए अन्य राज्य स्कूल बोर्डों और सीबीएसई द्वारा इसी प्रकार के मॉडल विकसित किये और अपनाये जा सकते हैं।

9. नि:सक्त जनों(पीडब्ल्यूडी)/दिव्यांगजनों के लिए आरपीएल का प्रावधान

दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 में नि:सक्त जनों को औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक तथा कार्यक्रमों की समस्त मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर दिया गया है। संबंधित आवार्डिंग निकाय जैसे एससी पीडब्ल्यूडी, दिव्यांजन उम्मीदवारों के लिए आरपीएल आकलन कार्यक्रम करने हेतु एसओपी बना सकता है।

10. आरपीएल को एनसीआरएफ में समेकन

राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण को उसके सफल आकलन के अधीन क्रेडिटकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) अनुभव जन्य शिक्षण को सफल आकलन के अधीन संगत अनुभव और दक्षता के प्राप्त स्तरों के आधार पर क्रेडिटीकरण करना भी संभव बनाता है।

एनसीआरएफ का प्रत्येक स्तर कतिपय स्तर क्रेडिट बिंदु से संगत है जिसे प्रशिक्षार्थी की जरूरतों के अनुसार उम्मीदवारा द्वारा आगे उपयोग किया जा सकता है। ''एनसीआरएफ के प्रावधान'' के अंतर्गत क्रेडिट और क्रेडिट स्तरों का कार्य शिक्षण घंटो के बजाय शिक्षण परिणामों के आधार पर किया जाता है। यही सिद्धांत आरपीएल पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का आकलन योग्यता के मानकों (एनओएस) के तहत उनके अनुभव जन्य शिक्षण परिणामों के लिए किया जाता है। इस प्रकार आरपीएल के अंतर्गत क्रेडिट और क्रेडिट स्तरों को दिया जाना संबंधित योग्यता प्रदान करने के समान होगा।

10.1 उन शिक्षण परिणामों (एलओ) जिनके लिए आकलन किया है, के आधार पर राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढाचा (एनसीआरएफ) के स्तरों के अनुसार क्रेडिट किया जाना

राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा (एनसीआरएफ) के अनुसार क्रेडिट एकत्रण नीति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिद्धांत आरपीएल से संबंधित आकलन के क्रेडिटीकरण को मजबूत बनाते हैं:

क. आरपीएल क्रेडिट अनुभव के जरिये प्राप्त ज्ञान और कौशल के लिए प्रदान किया जा सकता है। समय की अवधि और अनुभव के वर्ष की का परिकलन और आकलन नहीं होता है, बल्कि विशिष्ट कौशल, दक्षता और प्राप्त ज्ञान के शिक्षण परिणामों का आकलन और क्रेडिट निर्धारण होता है।

ख. आरपीएल क्रेडिट केवल तभी प्रदान की जानी चाहिए जब आवेदक/ व्यक्ति मौलिक (सैद्धांतिक) और विभिन्न संदर्भों में व्यावहारिक दक्षताओं को लागू करने की अपनी क्षमता दर्शा सकता हो।

ग. क्रेडिट केवल प्रदर्शित दक्षताओं के लिए दिये जाते हैं और न कि विशिष्ट कार्य अनुभव के लिए।

घ. क्रेडिट केवल शिक्षण के लिए दिये जाने चाहिए जो उस शिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु और शिक्षण परिणामों के लिए संगत हो जिसके आकलन के अधीन क्रेडिट हेतु आवेदन किया गया है।

ड. क्रेडिट केवल शिक्षण से संगत स्तरों के लिए दिये जाने चाहिए जैसा कि योग्यता में निर्धारित है और संगत आकलन और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया द्वारा स्थापित होता है।

च. उचित विषयवस्तु/ शैक्षिक विशेषज्ञ और आकलनकर्ता को दक्षता के स्तरों और क्रेडिट प्रदान करने का निर्धारण करना चाहिए जब आरपीएल आकलन और प्रमाणन के लिए निर्णय किये जाते हों।

छ. आरपीएल के जरिये उम्मीदवार के सफल आकलन के बाद प्रशिक्षार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट उतने ही होंगे जो किसी विशेष कार्य भूमिका/ योग्यता जिसमें प्रशिक्षार्थी आरपीएल आकलन से गुजरा है, के लिए धारणात्मक घंटों और एनएसक्यूएफ की कुल संख्या के लिए लागू हों।

10.2 क्रेडिटों के प्रत्यायित बैंक (एबीसी) में क्रेडिट संग्रहण

एनईपी 2020 में एक "क्रेडिट का शैक्षणिक बैंक" (एबीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजीटली स्टोर कर सकता हो ताकि अर्जित क्रेडिटों पर विचार करते हुए डिग्री प्रदान की जा सके।

एनसीआरएफ **आकलन के अधीन समस्त शिक्षण और कार्य के क्रेडिटीकरण, एकत्रण, स्टोरेज, क्रेडिटों के अंतरण और मोचन** के लिए प्रावधान करता है; भेद को समाप्त करता है और व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक **समानता** स्थापित करता है; उनके भीतर

और उनके बीच **स्थान परिवर्तन** संभव बनाता है और क्रेडिट के शैक्षणिक बैंक (एबीसी) के जरिये उसका प्रचालन करता है।

क्रेडिट का शैक्षणिक बैंक किसी विद्यार्थी द्वारा अर्जित सभी क्रेडिटों का एक कोष होगा। ये क्रेडिट संग्रहण और मोचन योग्य होंगे । बशर्ते कि एकत्रित क्रेडिट समान आकलन बैंड के भीतर हों। एकत्रित क्रेडिटों की एक वैधता/समाप्ति तिथि होगी। जिसे आरपीएल के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

10.3 क्रेडिटों का मोचन/हस्तांतरण

आरपीएल आकलन के भाग के रूप में अर्जित क्रेडिटों को विद्यार्थी के एबीसी खाते में जमा कराया जाएगा। क्रेडिटों के संचय के बाद कोई विद्यार्थी ऐसे विनियामक निकाय/ संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कोई शैक्षणिक डिग्री लेने के लिए उनका मोचन कर सकेगा, जहां से वह डिग्री लेने की योजना बना है। यह एनईपी 2020 में दिये गये ध्यान के अनुसार अनेक प्रवेश - अनेक निकास (एमई-एमई) तथा ''कभी भी शिक्षण, कहीं भी शिक्षण और किसी स्तर पर शिक्षण'' के सिद्धांतों पर कार्य करता है। क्रेडिट मोचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यूजीसी द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक बैंक दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

11. आरपीएल-आरसीएल से संक्रमण

कार्य की दुनिया बदल रही है। **3 विशाल रुझान अर्थात वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकीरण प्रगति और जनांनकीय परिवर्तन कार्य की प्रकृति में काफी अधिक बदलाव कर रहे हैं।** डिजीटल रुपांतरण, कृत्रि मेधा, ऑटोमेशन और अन्य रुझान इस परिवर्तन को इतना बड़ा बना रहे हैं जैसा कि कृषि और विनिर्माण की पहली पीढ़ियों में मशीनीकरण हुआ था। कार्य का भविष्य वह अनुमान है जिसके अनुसार आगामी वर्षों में कार्य, कार्य शक्ति और कार्य स्थल विकसित होगा। गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि के परिणामस्वरूप भी स्वरोजगार में वृद्धि हुई है जिससे कार्य के भविष्य ने आगे पुन: आकार लिया है।

सतत शिक्षण की मान्यता (आरसीएल) उन कौशलों और ज्ञान के आकलन और वैधता की प्रक्रिया है जिन्हें किसी व्यक्ति ने एक समयावधि के दौरान औपचारिक/गैर-औपचारिक और

अनौपचारिक शिक्षण के जरिये प्राप्त किया और अद्यतन बनाया है। आरसीएल का लक्ष्य प्रशिक्षार्थियों को उनके सतत शिक्षण और विकास को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है और मान्यता प्राप्त करने तथा उनकी अद्यतन दक्षताओं और उपलब्धियों के प्रमाणन का अवसर प्रदान करना है।

पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) और सतत शिक्षण की मान्यता (आरसीएल) के लिए मजबूत संस्थागत कार्यढांचे की स्थापना कार्य के भविष्य में सफल संक्रमण में **एक अनिवार्य स्तंभ है** जिसको नकारा नहीं जा सकता है।

आरसीएल, आरपीएल का एक विस्तार है। आरसीएल स्थिर या गतिहीन परिणामों के बजाय शिक्षण और कार्य के भविष्य की गतिशील और विकसित होती प्रकृति पर ध्यान देता है। आरसीएल का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए जा सकता है जैसे:

- किसी क्षेत्र या किसी पेशे में बदलती हुई मांग और मानकों के संबंध में प्रशिक्षार्थियों की योग्यता और प्रमाणन को अद्यतन बनाना और नवीकरण करना।
- किसी क्षेत्र या डोमेन में उभरते हुए रुझानों और अवसरों के संबंध में प्रशिक्षार्थियों कौशल और ज्ञान को बढाना और विस्तार करना।
- प्रशिक्षार्थियों के जीवन भर शिक्षण के प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करना और इसकी सराहना करना।
- प्रशिक्षार्थियों का कैरियर उन्नति और प्रगति में सुविधा पहुंचाना।

आरसीएल की विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग से संचालित किया जा सकता है जैसे:

- ऑनलाइन या ऑफलाइन पाठ्यक्रम, जहां प्रशिक्षार्थी ऐसे मॉड्यूल या इकाइयां पूरे करते हैं जो किसी विषय या कौशल में अद्यतन विकासों और नवाचारों को कवर करते हों।
- कार्यशाला या सेमिनार, जहां प्रशिक्षार्थी ऐसे बातचीत सत्रों या कार्यकलापों में भाग लेते हैं जो उन्हें किसी क्षेत्र या डोमेन में नये विचारों और प्रथाओं से परिचित कराती हो।
- परियोजनायें या कार्य, जहां प्रशिक्षार्थी वास्तविक विश्व की समस्याओं या परिदृश्यों में अपने कौशल और ज्ञान का प्रयोग करते हैं जो नई चीजें सीखने के लिए उन्हें चुनौती देती हो।

- सर्वेक्षण या प्रश्नोत्तरी, जहां प्रशिक्षार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हो या कार्य पूरे करते हैं जो किसी विषय या मुद्दे पर उनकी जागरूकता और उनकी समझ का आकलन करता हो।

- फीडबैक या मूल्यांकन, जहां प्रशिक्षार्थी विशेषज्ञों या समकक्षों से टिप्पणियां या रेटिंग्स प्राप्त करते हैं जो उनके मजबूत पक्षों तथा सुधार के क्षेत्रों को दर्शाती हो।

आरसीएल को समय के दौरान प्रशिक्षार्थी की दक्षताओं और उपलब्धियों के एक व्यापक और समग्र आकलन के लिए आरपीएल में समेकित किया जा सकता है। आरसीएल को एबीसी से भी जोड़ा जा सकता है ताकि प्रशिक्षार्थी अपने सतत शिक्षण के लिए क्रेडिटों को एकत्र कर सकें और आगामी शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उनका उपयोग कर सकें।

डिजिटल भारत पहल और कर्मयोगी भारत । कर्मयोगी भारत सतत किसी भी समय - कहीं भी शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत डिजिटल ईकोसिस्टम की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण के जरिये भविष्य के लिए तैयार भारतीय सिविल सेवाओं को रुपांतरित करने और बनाने के एक विजन के साथ सतत शिक्षण को मान्यता (आरसीएल) का प्रकट रूप है।

12. गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए/क्यूसी)

12.1 गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए कदम

आवार्डिंग निकायों / आकलन एजेंसियों को आरपीएल आकलन के कार्यान्वयन हेतु ''प्लान-2-चेक-एक्ट (पीडीसीए) चक्र'' को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पीडीसीए चक्र योजना बनाने, करने, जांच (या अध्ययन), और कार्य करने की एक निरंतर 4 चरण की चक्रीय प्रक्रिया है। यह एक कार्यढांचा है जो संगठनों में उनकी प्रक्रियाओं में परिवर्तन और सुधार करने में मदद करता है। यह पद्धति समस्याओं के समाधान और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक सरल और कारगर नीति प्रदान करती है। यह मॉडल प्रक्रियाओं और कार्य प्रथाओं को अद्यतन बनाने से पहले छोटे/बड़े पैमाने पर परीक्षण, सुधार उपायों को सक्षम बनाने के लिए उपयोगी है।

इससे एबी/एए को आरपीएल/किसी अन्य कार्यक्रम से कार्यान्वयन के लिए एक कारगर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने में मदद मिलेगी। इस मॉडल को नीचे दिये गये चित्र से समझा जा सकता है:

योजना			**करना**
1. आरपीएल प्रक्रिया के सभी चरणों की योजना 2. आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए एसओपी तैयार करना 3. परिवर्तन/सुधार के लिए अवसर को मान्यता और उसकी योजना बनाना			1. क्रम और एसओपी के अनुसार सभी चरणों का कार्यान्वयन 2. परिवर्तन का कार्यान्वयन और उसकी प्रभाविकता का परीक्षण 3. प्रक्रिया और कार्यकलापों का आगे संदर्भ के लिए दस्तावेज बनाना
कार्य			**जांच**
1. यदि परीक्षण वांछित परिणाम देता है तो इसे पूरे संगठन में कार्यान्वित करना 2. यदि नहीं, तो शिक्षण पर आधारित कार्रवाई			1. परीक्षण की समीक्षा, परिणाम का विश्लेषण और शिक्षणों की पहचान 2. जांच सूची तैयार करना और विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण बिंदु स्थापित

करना 3. परिवर्तन/सुधार के बारे में हितधारकों को जागरुक बनाना			करना 3. वांछित परिणाम के लिए जांच

आरपीएल दिशानिर्देश अपने दायरे में कार्यरत भागीदार एजेंसियों/ संस्थाओं के लिए सिफारिशें भी निर्धारित करती है ताकि उनके प्रचालनों में भी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। एनसीवीईटी, एबी के साथ कार्यरत भागीदार एजेंसियों/संस्थाओं का सीधे नियंत्रण और निगरानी नहीं करेगी। यह सुनिश्चित करना एबी की जिम्मेदारी होगी कि भागीदारी एजेंसियां/संस्थायें आरपीएल दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। ऐसे प्रत्यायोजित विनियमनों से आरपीएल दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों भागीदार एजेंसियों/संस्थाओं के विरूद्ध दंडात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने की शक्ति मिलती है।

एबी/एए आरपीएल आकलनों के लिए उन शिक्षण प्रथाओं और नीतियों को प्रोत्साहित करेंगे जो लोचशील विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के घटक के रूप में आरपीएल को शामिल करती हों और इन प्रथाओं और नीतियों को विकसित करने में शिक्षकों को कर्मचारियों का विकास उपलब्ध कराती हों।

विभिन्न हितधारकों (प्रशिक्षण भागीदार/केंद्र, आकलन एजेंसयां, आवार्डिंग निकाय, स्कीम प्रयोजित करने वाले निकाय / एजेंसियां) के बीच भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। भुगतान प्रणाली को ऑनलाइन और / या आफलाइन साक्ष्य अनुरोध पर आधारित ऑटोमेटेड प्रूफ में होना चाहिए और प्रत्येक उपलब्धि के लिए टर्न अराउंड समय (टीएटी) नियत होना चाहिए।

आवार्डिंग निकाय/आकलन एजेंसियों को आरपीएल आकलन की डिलीवरी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपने संगठन के भीतर क्यूए/क्यूसी समिति/ विभाग को औपचारिक रूप देना चाहिए।

13. निगरानी एवं मूल्यांकन (ऑनलाइन/पोर्टल के माध्यम से)

13.1 निगरानी की प्रक्रिया

एनसीवीईटी आवार्डिंग निकायों और एजेंसी की मान्यता के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत विहित निगरानी मानकों के अनुसार आरपीलए मानकों की निगरानी करेगा।

एनसीवीईटी आवार्डिंग निकायों / आकलन एजेंसियों द्वारा अपनाई गई आरपीएल आकलन पद्धतियों की तिमाही / वार्षिक निष्पादन समीक्षायें करेगा। प्रत्येक आवार्डिंग निकाय / आकलन एजेंसी के लिए गुणवत्ता जांच की जाएंगी। एनसीवीईटी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में कार्यस्थल पर दौरे का विकल्प भी चुन सकता है। परिषद आरपीएल से संबंधित कोई सूचना भी मांग सकती है।

आकलन की वीडिया रिकार्डिंग देने सहित शासन प्रक्रिया को निगरानी की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है जो इसे और अधिक मजबूत बना सकती है।

13.2 रिपोर्टिंग तंत्र

एबी को एक दस्तावेजित नीति बनानी चाहिए जिसमें ऐसी प्रक्रियाओं, टेंपलेटों और जांच सूची का समूह हो जो एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और ऐसी नीति को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त एबी एक समयबद्ध और सही ढंग से प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) संबंधी आंकड़े और ऐसे कोई अन्य आंकड़े प्रस्तुत करेगा जो उससे एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर मांगे जाएं। एबी को अपनी तीसरी पक्षकार एजेंसियों की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित और अनुरक्षति करनी चाहिए और एनसीवीईटी द्वारा मांगे जाने पर अनुपालन रिपोर्टें आवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. यह समय सहायता हेतु एक समर्थित आरपीएल डिजिटल पोर्टल सृजित करना

आज का शिक्षा और शिक्षण परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और मांग करता है। आरपीएल कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए संबंधित हितधारकों द्वारा इस प्रकार से एक समर्पित आरपीएल डिजिटल पोर्टल स्थापित किया जाये की प्रयोक्ताओं (अर्थात विद्यार्थियों/प्रशिक्षार्थियों/आवेदकों, प्रशिक्षकों, आकलनकर्ताओं, प्रॉक्टरों, सुविधा प्रदाताओं) को ऑनलाइन/ मांग पर आरपीएल सुविधाओं और विशेषाताओं के बारे में सूचना प्रदान की जा सके। आमतौर पर आरपीएल में आकलन पूर्व प्रक्रियायें मैनुअली की जाती हैं जैसे नामांकन, शिक्षण परिणामों की मैपिंग, प्रमाणन आदि स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) के लिए ऐसी स्वचालित प्रक्रियाओं को आरपीएल के जरिये आकलन हेतु मांग प्राप्त करने के लिए कतिपय प्रावधानों को शामिल करना होगा और दो तरफ से इंटरफेस प्रदान करना होगा, आरपीएल कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसी संबंधित प्रक्रियाओं की कौशल

वृद्धि करनी होगी। इन प्रावधानों को एनसीवीईटी के अनुसार समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है।

एसआईडी के दायरे में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

क. स्वनामांकन द्वारा किसी आकलन के लिए उपस्थित होने का विकल्प।
ख. आरपीएल आकलन देने हेतु निकटतम परीक्षण केंद्र चुनने के लिए प्रशिक्षार्थियों/आवेदक को सक्षम बनाने का कार्य।
ग. पूर्व जांच और उनकी सुविधा के उन्मुखन तथा उसके बाद आकलन में उपस्थित होने के लिए तारीख और समय के चयन का कार्य।
घ. आरपीएल आकलनों के लिए योग्यता के शिक्षण परिणामों को सूचीबद्ध करना।
ड. एनसीवीईटी द्वारा रेखांकित पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रशिक्षार्थियों/ आवेदकों के लिए आकलनकर्ता/ प्रॉक्टर निर्धारित करना।
च. विभिन्न प्रकार की आकलन सुविधायें।
छ. परिणाम का वास्तविक समय में आकलन और प्रमाण पत्र जारी करना।
ज. रिपोर्ट बनाना और गहन विश्लेषण।
झ. फीडबैक तंत्र और शिकायत निवारण।

15. समय-समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन/उन्हें अद्यतन बनाने की प्रक्रिया

एनसीवीईटी की एक परामर्शदाता / अधिकारी / टीम / समिति को दिशानिर्देशों के स्वामित्व के लिए पद नामित करेगा। दिशानिर्देशों के मालिक को ऐसी सभी चुनौतियों/कठिनाइयों का रिकार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी जो इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान सामने आती है। इसके बाद इन चुनौतियों/कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा और एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से संभावित समाधान प्रदान किया जाएगा।

दिशानिर्देशों के अंतर्गत जारी किये जाने के अपेक्षित सभी अधिसूचनाओं को एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाना है। तात्कालीक/सूक्ष्म संशोधन को एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी करना अपेक्षित है और उसे परिषद द्वारा बाद में अनुमोदित कराया जाएगा। दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान के संबंध में परिषद की व्याख्या अंतिम होगी।

अनुबंध - 1: आरपीएल प्रक्रिया फ़्लोचार्ट

फ्लोचार्ट 1: एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 1 से स्तर 3.5 के लिए आरपीएल प्रक्रिया

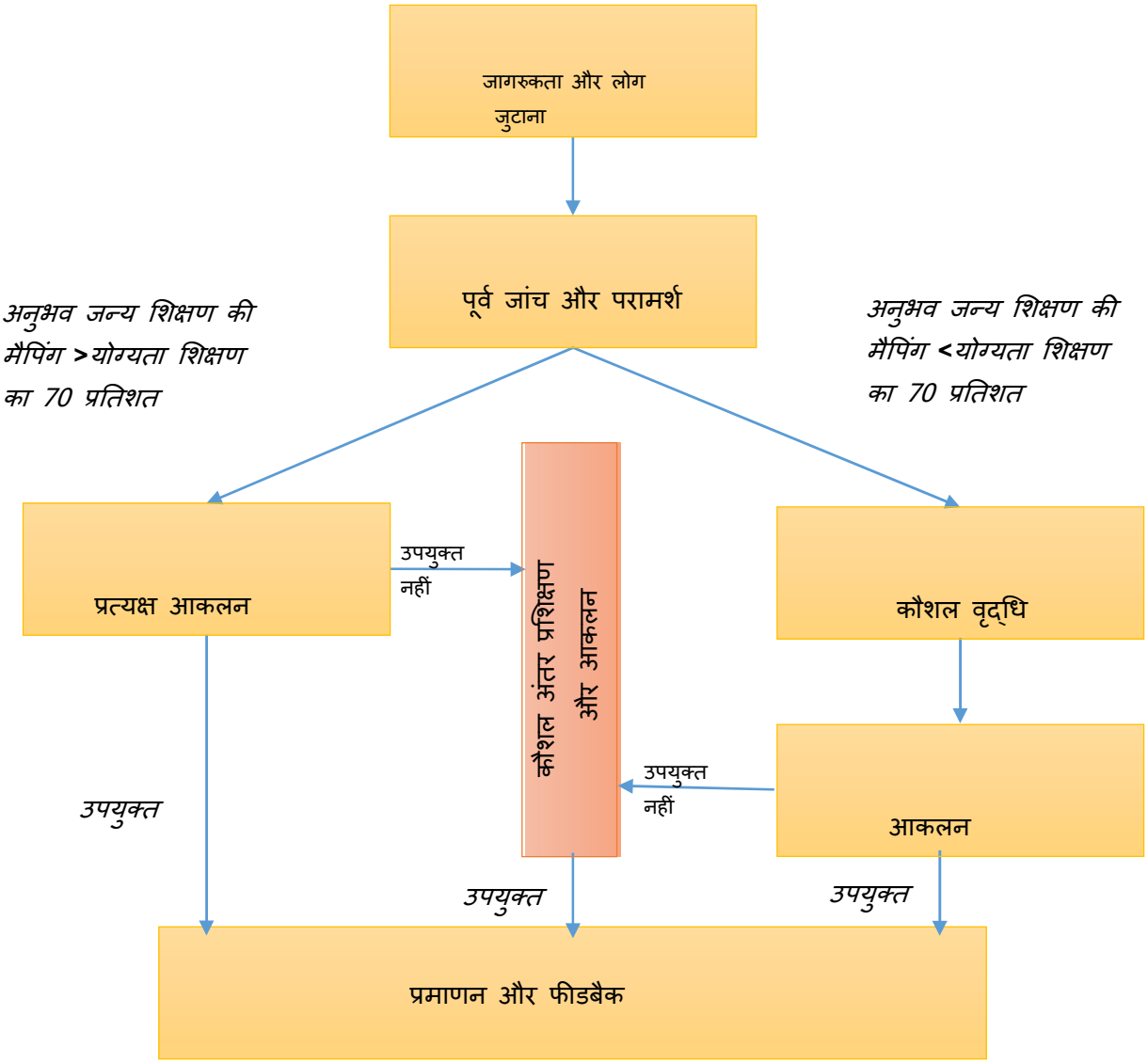

फ्लोचार्ट 2: एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 4 से स्तर 6 के लिए आरपीएल प्रक्रिया (12वीं अनुभव सहित यूजी, पीजी कर रहे हैं)

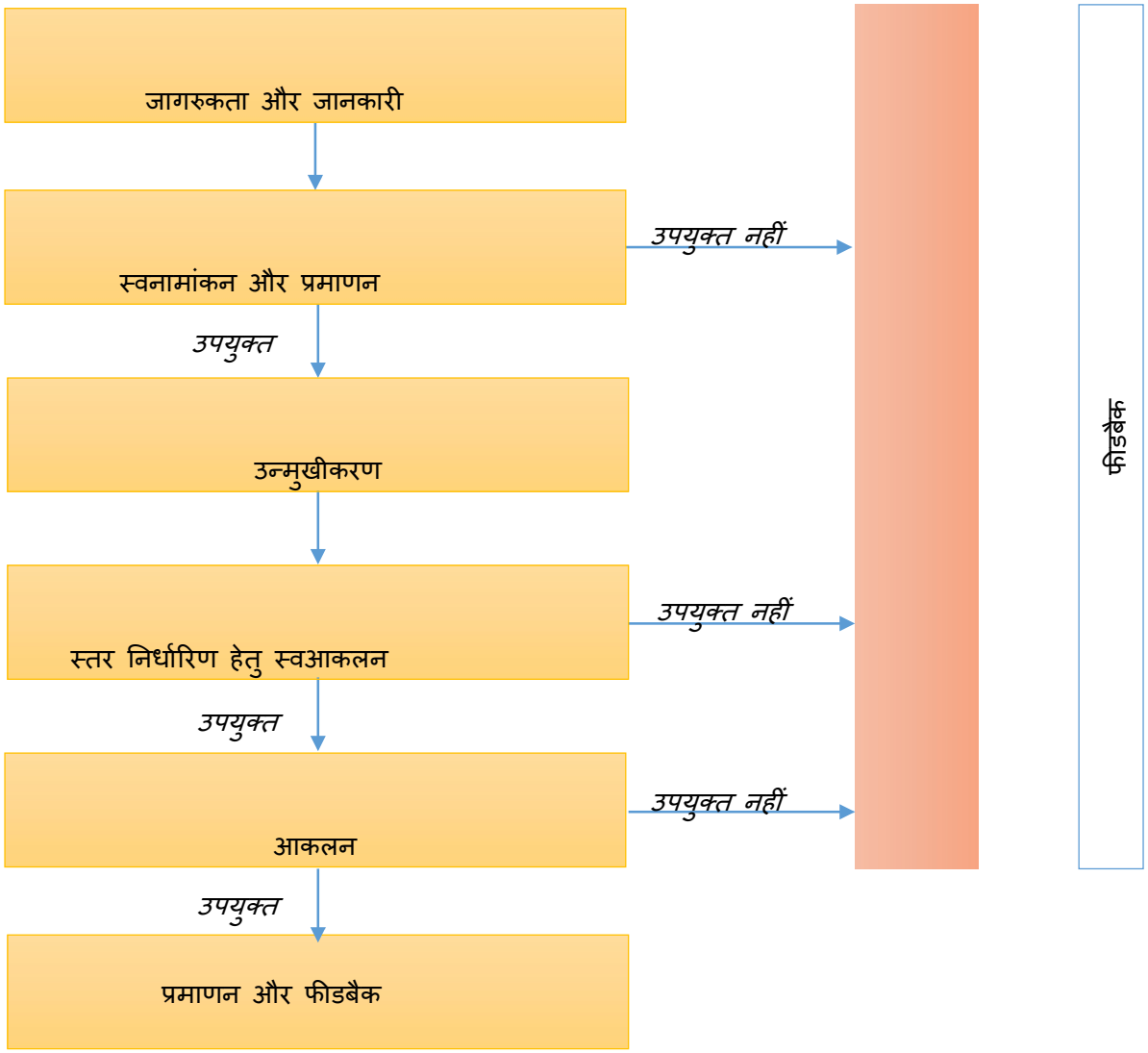

कौशल अंतर प्रशिक्षण

फ्लोचार्ट 3: एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 4, 4.5, 5, 5.5,6 के लिए आरपीएल प्रक्रिया (औपचारिक शिक्षा के बिना)

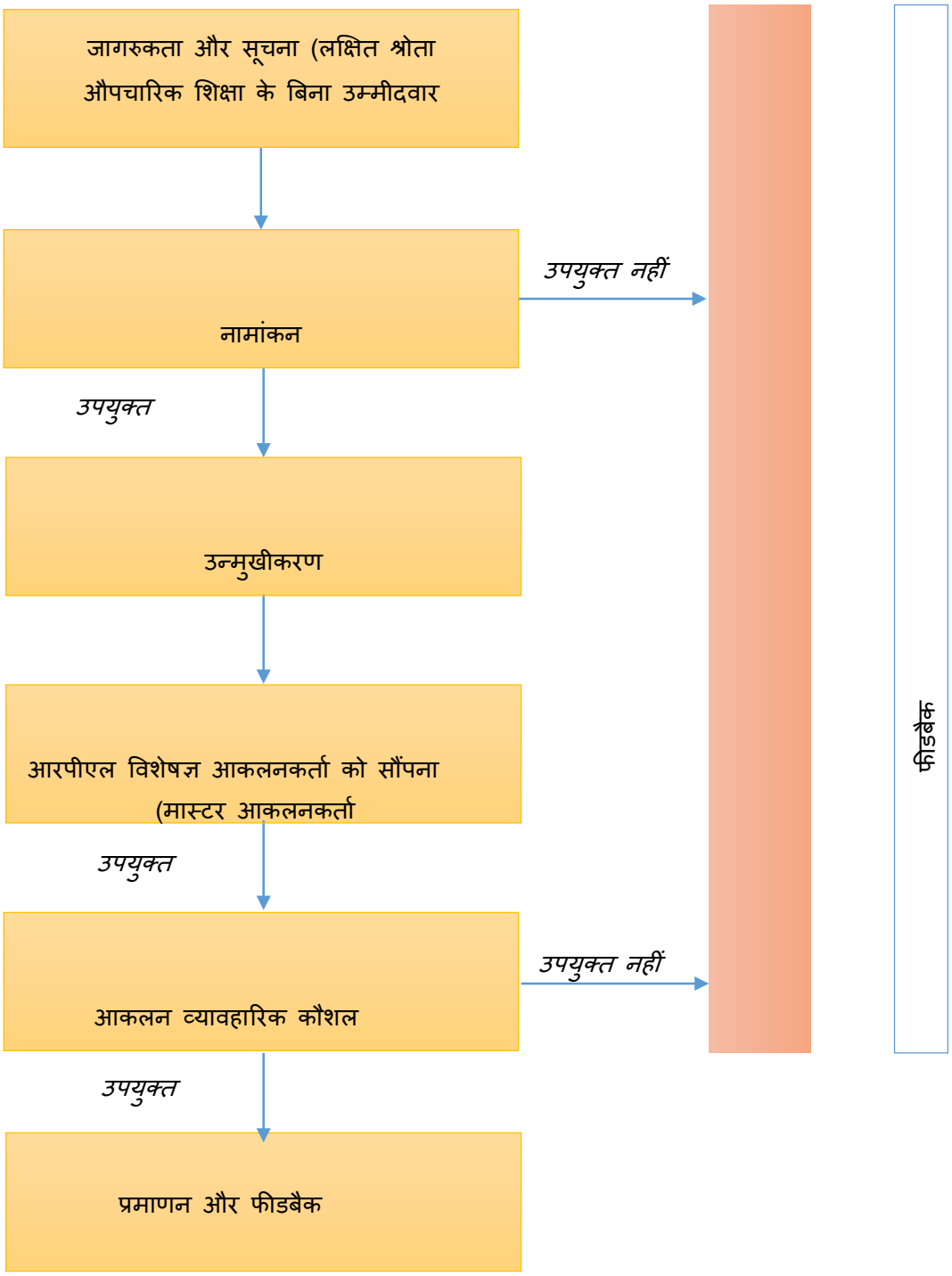

फ्लोचार्ट 4: एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर 6.5 से 8 (पीजी एवं पीएचडी स्तर पर) के लिए आरपीएल प्रक्रिया

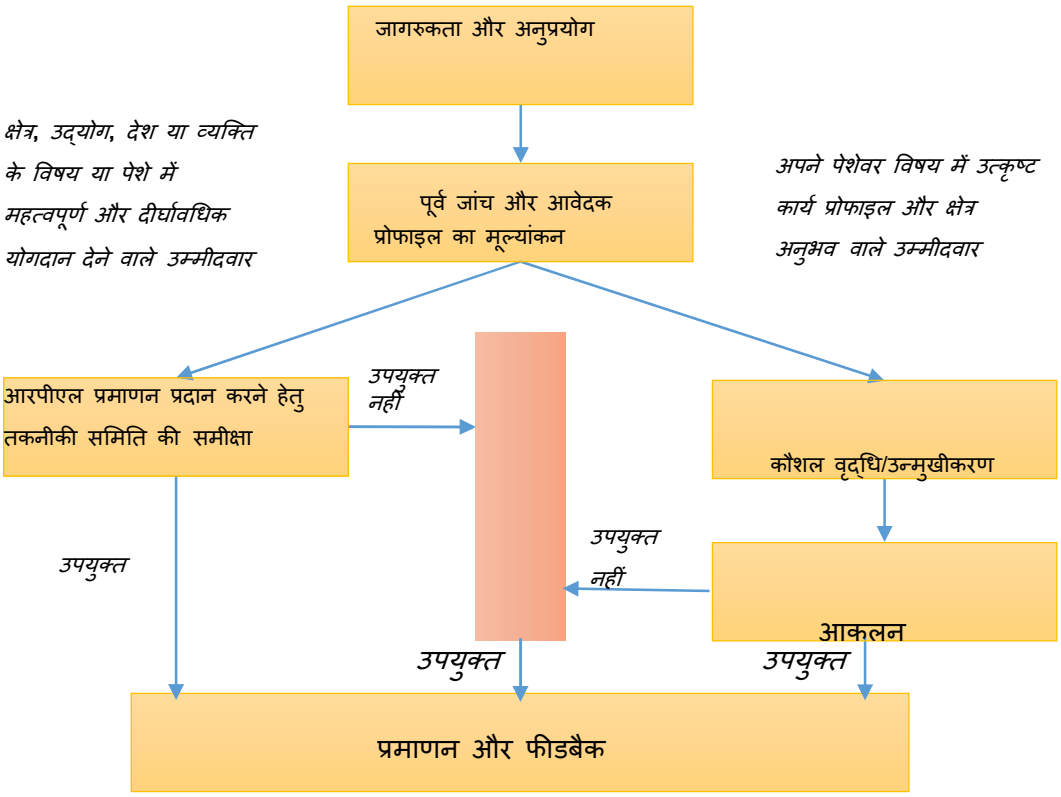

कौशल अंतर प्रशिक्षण और आकलन

अनुबंध - 2: आकलनकर्ता की दोहरी भूमिका संबंधी विभिन्न उपयोग-मामले

क्र. सं.	उपयोग-मामला (आकलनकर्ता प्रशिक्षक के रूप में)
1.	आईटीआई में प्रशिक्षक* उम्मीदवारों का आकलन कर सकते हैं।
2.	रक्षा बलों द्वारा प्रचालित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षक*
3.	कौशल विश्वविद्यालयों द्वारा प्रचालित प्रशिक्षक* केंद्रों में प्रशिक्षक
4.	पारंपरिक कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षक/विशेषज्ञ/प्रैक्टिसनर भी आकलन कर सकते हैं।
5.	शिक्षक*/ प्रशिक्षक* प्रशिक्षण और आकलन दोनों कर सकते हैं।
6.	ट्रेड के मास्टर / मास्टर कुशल कामगार प्रशिक्षण और आकलन दोनों कर सकते हैं।
7.	औद्योगिकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण और आकलन दोनों कर सकते हैं।
8.	"अभ्यास के प्रोफेसर" प्रशिक्षण और आकलन दोनों कर सकते हैं।
9.	

(* प्रशिक्षक और आकलनकर्ता दोनों योग्याताओं संबंधी एनसीआरएफ प्रमाण पत्र की उपलब्धता के अधीन)

क्र. सं.	उपयोग-मामला आकलनकर्ता प्रशिक्षक के रूप में
1.	आरपीएल आकलन करने वाला आकलनकर्ता प्रशिक्षक के रूप में कार्य सकता है और उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम, एनओएस या सूक्ष्म प्रमाणन आधारित पाठ्यक्रम आदि संबंधी प्रशिक्षण दे सकता है।

अनुबंध - 3: हैकथॉन आधारित आकलन

हैकथॉन आधारित आकलन

हैकथॉन विद्यार्थियों को विचार मंथन, अवधारणा लाने, टीम बनाने, परियोजना की योजना बनाने और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए मंच देता है और प्रोत्साहित करता है। हैकथॉन में सहयोगात्मक परियोजनाओं के जरिये कम समयावधि में सामने आने वाली सृजनशीलता, टीम वर्क और समस्या सुलझाने की दक्षता प्राय: भागीदारों को उनके व्यवसाय और शैक्षणिक रुचियों में और अधिक गहराई से शामिल होने के लिए प्रेरित करती हैं। यद्यपि हैकथॉन ने कक्षा शिक्षण वातावरण से बाहर लोकप्रियता हासिल की है। तथापि, मौजूदा कक्षा कार्यलापों के लिए बातचीत की एक

समृद्ध परत भी जोड़ते हैं। नीचे हैकथॉन आधारित आकलन करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह का उल्लेख किया गया।

क. इस प्रकार के आरपीएल में संगठन हैकथॉन आधारित आरपीएल के लिए पंजीकरण करेगा (आंतरिक या बाहरी रूप से संचालित करने के लिए) ।

ख. उस समस्या का विवरण प्रस्तुत करना जिसमें क्षेत्र पारीय और / या अनेक क्षेत्रीय एनओएस / कौशल हो।

ग. हैकथॉन को एबी द्वारा सृजित मानक (क्यूपी/एनओएस) के साथ सुमेलित करना होगा, एबी को सूचित करना होगा और उससे अनुमोदन लेना होगा।

घ. एबी समस्या विवरण के क्यूपी/एनओएस के साथ सुमेलन को वैधीकृत करेगा।

ड. डिलीवरी भागीदारों (शैक्षणिक संस्थान / संगठन / प्रशिक्षण भागीदार आदि) द्वारा आनलाइन या आफलाइन पद्धति का चयन।

च. डिलीवरी भागीदारों (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों / संस्थानों आदि) द्वारा उपयुक्त चैनलों के जरिये हैकथॉन की जागरुकता और एकीकरण।

छ. हैकथॉन नामांकन - यदि हैकथॉन एबी द्वारा अनुमोदित है तो एबी को सूचित करना।

ज. संगठन की प्रक्रिया और जरूरत के अनुसार हैकथॉन का कार्यकरण।

झ. सभी भागीदारों के अंतिम परिणाम / अंक पत्र को एबी के साथ साझा किया जाना केवल तभी लागू है यदि हैकथॉन एबी द्वारा अनुमोदित है।

ञ. यदि संगठन / संस्थान ऐसा चाहे तो केवल ऐसे हैकथॉन के लिए जो एबी द्वारा अनुमोदित हैं, संयुक्त प्रमाणन।

अनुबंध - 4: पारंपरिक (स्वदेशी) कौशल/व्यवसाय और इसकी आकलन प्रक्रिया

I. भारतीय पारंपरिक शिल्प/कौशल की सूची:

क्र.सं.	भारतीय पारंपरिक शिल्प/कौशल	उदाहरण
1.	लकड़ी का कार्य	• कश्मीर में अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, पिंजराकारी और खातुमबंद • धर्मशाला की लकड़ी का कार्य • गोवा की कस्ता कारी • लाख के लकड़ी के खिलौने
2.	पत्थर की चिनाई	• थार जिले के निकट राजमिस्त्रयों के सिलावट समुदायों की जानी मानी शिल्पकारी। • मल्बे का राजमिस्त्री कार्य

3.	पारंपरिक पेंटिंग	• महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग • राजस्थानी दीवार पेंटिंग • बिहार में मधुबनी की दीवार और फर्श पेंटर • पिछवाई मंदिर की हैंगिंग • बिहार के मिथिला क्षेत्र में पेंटिंग • राजस्थान की वस्त्र पेंटिंग • मंडला कला • चित्रकथी और गंजिफ़ा पेंटिंग
4.	धातु कार्य	• कश्मीर के पारंपरिक तांबे के बर्तन • लद्दाख का स्वदेशी धातु कार्य • तिब्बती धातु कार्य • थत्तर का काम- कुल्लू की शीट धातु का कार्य •मुरादाबाद के पीतल के बर्तन • उदयपुर के चांदी के बर्तन, दमिश्क और धातु तराशना • जाल का कार्य या लखनऊ के ओपनवर्क के साथ उबर नाक़्क़ाशी या रिपॉसे का संयोजन
5.	वस्त्र	• कश्मीर - पश्मीना • एचपी - कुल्लू शॉल • यूके- पंचाचूली बुनाई • पंजाब/हरियाणा - फुलकारी, पंजा बुनाई • राजस्थान - शीशा • गुजरात - बंधानी • महाराष्ट्र - पैठाणी • गोवा - कुनबी • कर्नाटक - मैसूर सिल्क • केरल - कसावु • तमिलनाडु - कांजीवरम सिल्क • बिहार - भागलपुरी सिल्क • ओडिसा - संबलपुरी साड़ी • नागालैंड - नागा शॉल
6.	मिट्टी के बर्तन	• हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन - कटोरे, जार, बर्तन - विभिन्न रंगों में। • खुर्जा पॉटरी, उत्तर प्रदेश - इसे सिरेमिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। • काली मिट्टी के बर्तन - उत्तर प्रदेश • राजस्थान का मोलेला - मूर्तिकला • पश्चिम बंगाल - टेराकोटा मिट्टी के बर्तन • गुजरात - खावड़ा मिट्टी के बर्तन • कर्नाटक - बिद्रीवेयर
7.	पेपियर-मैछे (कागज की लुग्दी)	• कागज की लुग्दी से उत्पादों को आकार और ढालने की

		शिल्प कला • कश्मीर घाटी की काफी अत्याधुनिक पेपियर मैछे परंपरा
8.	कालीन बुनाई	• भारत के प्रमुख कालीन उत्पादक क्षेत्र कश्मीर में श्रीनगर, राजस्थान में जयपुर, पंजाब में अमृतसर और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और आगरा हैं। • कश्मीर हाथ से बंधे और ऊनी सिल्क के आसनों के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। • नकाश वह व्यक्ति होता है जो कालीन डिजाइन करता है। कलिंबा एक बुनकर होता है और रेंगर वह व्यक्ति होता है जो कालीन की रंगाई करता है।
9.	पारंपरिक नृत्य	• भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। • कथकली एक उच्च शैली वाला शास्त्रीय नृत्य-नाट्य रूप है, जिसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। • कथक (उत्तरी भारत) • कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश) • ओडिसी (ओडिशा) • सत्रिया (असम) • मणिपुरी (मणिपुर) • मोहिनीअट्टम (केरल) • लोक और जनजातीय नृत्य शैलियां (गरबा, भांगड़ा और गिद्धा, लावणी, घूमर, आदि)
10.	वन उपज पैदावार और मूल्य संवर्धन	
11.	बांस की शिल्प कला	
12.	पाक कला	
13.	खाद्य प्रसंस्करण	

II. भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कुछ सरकारी स्कीमें

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	विवरण
1.	अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	• यह कार्यक्रम स्वसहायता समूहों में कारीगरों को एकजुट करने के लिए सामुदायिक सशक्तीकरण को संभव बनाता है। • डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन उपखंड के अंतर्गत कारीगरों के पारंपरिक कौशल का प्रयोग करते हुए समकालीन बाजारों के रुझान और पसंद के अनुरूप नये प्रोटोटाइप विकसित करने और बढ़े हुये उत्पादन के लिए नयी तकनीकी और प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए 25 दिवसीय कार्यशाला संचालित की जाती है। • यह समेकित डिजाइन प्रौद्योगिकी विकास परियोजना, निर्यातकों

		और उद्यमियों को डिजाइन प्रोटोटाइप और वाणिज्यिक बाजार आसूचना के रूप में सहायता प्रदान करता है। • यह मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य देखभाल आदि भी प्रदान करता है।
2.	मेगा क्लस्टर स्कीम	• यह कार्यक्रम ऐसे हस्तशिल्प केंद्रों में अवसंरचना और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाकार एक मेगा क्लस्टर आधारित नीति अपनाता है जो असंगठित रहे हैं और जिन्होंने आधुनिकीरण या अन्य विकास शुरू नहीं किये हैं। • इसके उद्देश्यों में रोजगार बढ़ाना और मौजूदा कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार करना शामिल है।
3.	विपणन सहायता और सेवा स्कीम	• शिल्प जागरुकता और प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित करना। • घरेलू विपणन आयोजनों में कारीगरों के लिए गतिविधियां प्रदान करना। • अन्य संस्थानों द्वारा किये गये आयोजनों के लिए निर्मित स्थान को किराये पर लेने हेतु सहायता भी दी जाती है। • कारीगरों की अनुपालन, सामाजिक और कल्याण संबंधी जरूरतों के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। • प्रचार और ब्रांड संवर्धन में सहायता।
4.	अनुसंधान और विकास स्कीम	• क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों और कारीगरों के आर्थिक सामाजिक सौंदर्यपरक और संवर्धानात्मक पहलुओं संबंधी फीडबैक प्राप्त करना। • ऐसे विशिष्ट शिल्पों संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन किये जाते हैं जिन पर पर्याप्त सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है।
5.	उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण)	• मास्टर शिल्पकार/कारीगर की क्षमता निर्मित करना और पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के लिए मास्टर शिल्पकार/कारीगर के जरिये युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करना। • अभिज्ञात कलाओं और शिल्पों मानक निर्धारित करना और उनका दस्तावेजीकरण। • पाक कला कौशल सहित पारंपरिक कला और शिल्पों के कौशल को हुनर हॉट बैनर के अंतर्गत प्रदर्शनी के जरिये प्रदर्शित करना जिससे व्यावसायिक अवसरों और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच भी सुलभ होगा। • अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। • वैश्विक बाजार के साथ पारंपरिक कौशलों के लिंकेज स्थापित करना। • मौजूदा कामगारों, स्कूल बीच में छोड़ने वालों आदि की रोजगार योग्यता में सुधार करना । • पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका के साधन सृजित करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना।

		• बढ़ते हुए बाजार में अल्पसंख्यकों को उसका लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना। • श्रम का महत्व सुनिश्चित करना। • पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में डिजाइन विकास और अनुसंधान।

III. <u>समग्र चुनौतियां</u>

क. वर्तमान बाजार रुझानों के बारे में सीमित जागरुकता।

ख. नये उत्पाद विकास के लिए कोई व्यवस्थित अनुसंधान और विकास न होना।

ग. वैश्विक अपील की कमी।

घ. गैर-पेशेवर छवि - जो कारपोरेट वित्त आकर्षित करने में असमर्थ बनाती है।

ड. उत्पादों के लिए मांग की अनियमित और अस्थिर प्रकृति।

च. अवसंरचना सुविधाओं का अभाव।

छ. मशीन और प्रौद्योगिकी के कम प्रयोग के कारण समय अधिक लगता है, उत्पादन की मात्रा कम होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।

ज. वितरण नेटवर्क, बाजार संभावना प्रतिस्पर्धी क्षेत्र आदि जैसी प्रमुख सूचना जानकारी का अभाव।

झ. अच्छी गुणवत्ता की कच्ची सामग्री के सतत स्रोत का अभाव।

ञ. पेशेवर प्रबंधन के बिना परिवार चालित इकाइयां।

ट. कारीगरों कम शिक्षा और खराब आर्थिक पृष्ठभूमि।

ठ. कारीगरों के आत्मसंतोषी और अहमपूर्ण रवैये से वे फीडबैक स्वीकार नहीं करते हैं और नये उत्पादों का विकास नहीं करते हैं।

ड. ब्रांडिंग की अभाव से उत्पाद की छवि खराब होती है और इस प्रकार प्रीमियम कीमतें लेने की गुंजाइश कम हो जाती है।

IV. <u>पारंपरिक कौशल/व्यवसायों के लिए कौशल/प्रशिक्षण प्रदान करने/आकलन में चुनौतियां</u>

क. कार्य भूमिकाओं/व्यवसाय की पहचान, क्योंकि उनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र से हैं।

ख. किसी विशेष पारंपरिक कार्य भूमिका/व्यवसाय में शामिल कार्य शक्ति की संख्या का अनुमान।

ग. औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक कौशल के लिए योग्यताओं/पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता।

घ. प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को जुटाना, क्योंकि अधिकांश पारंपरिक कौशल/व्यवसाय गैर महत्वाकांक्षी हैं।

ड. कौशल कार्यकलापों (प्रशिक्षण और आकलन) के लिए अवसंरचना का अभाव।

च. पारंपरिक कौशल के लिए प्रशिक्षकों/आकलनकर्ताओं का अभाव।

V. पारंपरिक कौशलों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने/आकलन के लिए रणनीति

क. पारंपरिक कौशल आधारित समूहों की पहचान करना।

ख. कार्य भूमिकाओं की पहचान करने और एनओएस/योग्यताओं के विकास के लिए व्यावसायिक और कार्यात्मक विश्लेषण। एनओएस/योग्यताओं को आधुनिक विचारों/प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों के साथ पारंपरिक को मिलाकर पारंपरिक कलाओं/शिल्पों को संरक्षित करने और उसी पारंपरिक कला के अंतर्गत कारीगर को रोजगार के लिए और अधिक तैयार करने तरीकों को एनओएस/योग्यताओं में डिजाइन किया जाएगा।

ग. कौशल वृद्धि/पुन: कौशल एनओएस का विकास ताकि कारीगरों को उपभोक्ता की मांग और अपने उत्पाद के लिए उपभोक्ता/बाजार के विकास के बारे में समझाया जा सके।

घ. कौशल निर्माण/आकलन के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान और उन्हें एकजुट करना।

ड. किसी शिल्प कला के इतिहास, विचारधारा और प्रासंगिकता के संबंध में कारीगरों/उम्मीदवारों को जागरुक बनाना।

च. उम्मीदवारों/कारीगरों की दक्षताओं के साथ एनओएस/योग्यता के शिक्षण परिणामों की मैपिंग और उनका एनसीआरएफ/एनएसक्यूसी स्तर निर्धारित करना। अनंनतिम एनसीआरएफ/एनएसक्यूसी स्तर के आधार पर उम्मीदवार/कारीगर का आरपीएल आकलन किया जाएगा (विस्तृत प्रक्रिया के लिए आरपीएल दिशानिर्देश, खंड 4 देंखे)।

VI. पारंपरिक कौशल के लिए आकलन हेतु नियोजित आकलनकर्ता

ऐसे मास्टर प्रशिक्षक/मास्टर आकलनकर्ता जो पारंपरिक कला/शिल्प के चुने गये क्षेत्र में सुविख्यात मास्टर शिल्पकार/कारीगर हैं, को पारंपरिक कौशल के आकलन के लिए नियोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कृत मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों और राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र धारकों को आकलनकर्ताओं के रूप में वरीयता दी जानी है।